रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 27 फरवरी, 2021 ई० (फाल्गुन 8, 1942 शक संवत्) [संख्या 9

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	271–290	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	223–250	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	297–334	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

11 फरवरी, 2021 ई0

सं0 936/दो-4-2020—सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 126/01/ई-3/2018-19, दिनांक 04 नवम्बर, 2020 द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2018 की प्रतीक्षा सूची से चयनित/संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री नेहा त्रिपाठी पुत्री श्री वी0के0 त्रिपाठी, अनुक्रमांक-047821 को वेतनमान रु0 27,700-770-35,090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—प्रश्नगत नियुक्ति दिव्यांगजन हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 9096/2013 भारत संघ बनाम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।

3—उपरोक्त अभ्यर्थी सुश्री नेहा त्रिपाठी की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-5

कार्यालय-ज्ञाप

03 फरवरी, 2021 ई0

सं0 87/दो-5-2021-19(3)/2016—नियुक्ति विभाग के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 35/दो-5-2021-19(3)/2016, दिनांक 18 जनवरी, 2021 द्वारा डा0 पूजा पाण्डेय, आई0ए0एस0-2008 (असम-मेघालय कैडर) को दिनांक 01 जनवरी, 2021 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,000-2,15,900 (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2—उक्त विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश अंकित नोटीफिकेशन संख्या PER.36/2011/PT/128-F के स्थान पर नोटीफिकेशन संख्या PER.36/2011/PT/128-G संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

सेवा-निवृत्ति

01 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1873 (अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 2966/(अधि0) वि0प0-267/84, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के क्रम में श्रीमती रीता अरोड़ा, प्रमुख प्रतिवेदक, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो गयीं।

08 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1928 (अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के निम्नांकित अधिकारी अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

1—श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, अनुभाग अधिकारी	दिनांक 30 सितम्बर, 2021
2—श्री राहत अली, निजी सचिव श्रेणी-4	दिनांक 31 अक्टूबर, 2021
3—श्री रामकिशोर सैनी, निजी सचिव श्रेणी-4	दिनांक 31 अक्टूबर, 2021

प्रोन्नति/नियुक्ति

28 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 2061 (अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/(नियुक्ति) आदेश संख्या 1897/(अधि0), वि0प0-20/12, दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 के द्वारा श्री विनय कुमार सिंह, उपसचिव के संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये उपसचिव के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा मूल सेवा नियमावली के नियम 30 के प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश सिंह, स्थायी अनुसचिव को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

29 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 2067 (अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 1479/वि0प0-267/84 (अधि0), दिनांक 30 सितम्बर, 2020 द्वारा श्रीमती अर्चना भटनागर, अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा मूल सेवा नियमावली के नियम 30 के प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री अमर बहादुर सिंह, स्थायी अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

2—श्री ओम प्रकाश सिंह, अनुसचिव की उपसचिव के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुसचिव के पद पर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा मूल सेवा नियमावली के नियम 30 के प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र जोशी, स्थायी अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

20 जनवरी, 2021 ई0

सं0 129 (अधिष्ठान) वि0प0-347/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में रिक्त डिप्टी मार्शल के स्थायी पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (44,900.1-42,400) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद् श्री राजेन्द्र प्रसाद दुबे, सहायक मार्शल को डिप्टी मार्शल के स्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रु0 44,900-1,42,400) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

04 फरवरी, 2021 ई0

सं0 282 (अधि0) वि0प0-71/79—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के माननीय नेता विरोधी दल के निजी स्टाफ में जनसम्पर्क अधिकारी के निःसंवर्गीय अस्थायी राजपत्रित पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100.1-77,500) में श्री राजेश्वर दत्त शुक्ला को माननीय सभापति, विधान परिषद् के आदेशानुसार पूर्णतया अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है।

2—श्री शुक्ला की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है।

3—श्री शुक्ला की सेवायें पूर्णतया माननीय नेता विरोधी दल के प्रसाद पर्यन्त होगी तथा वे उनके पद पर बने रहने तक ही सीमित होगी, तदोपरान्त स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुभाग-2 (अधि0)

प्रोन्नति/नियुक्ति

15 फरवरी, 2021 ई0

सं0 आई/51672/2021 फा0सं0 20-2001/989/2020-2—उत्तर प्रदेश सचिवालय के श्री अच्छे लाल, निजी सचिव श्रेणी-एक को नियमित चयन के फलस्वरूप निजी सचिव, श्रेणी-दो, वेतन मैट्रिक्स में लेवेल-11, (रु0 67,700-2,08,700) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा प्रोन्नत कर मौलिक रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
सत्य प्रकाश पटेल,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

प्रोन्नति

11 फरवरी, 2021 ई0

सं0 37डीजी/छः पु0से0-2-21-522(99)/2020—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के अधिकारी श्री भानु भास्कर, आरआर-1996, श्री विक्रम ठाकुर, आरआर-1996 एवं डा0 राम कृष्ण स्वर्णकार, आरआर-1996, जो वर्तमान में केन्दीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-15 रु0 1,82,200-2,14,100) तालिका के कालम-5 में अंकित उनके कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति की तिथि से प्रोफार्मा प्रोन्नति दिये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	कब से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है	राज्य में नियुक्त कनिष्ठ अधिकारी का नाम जिनके सापेक्ष अपर पुलिस महानिदेशक के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-15 रु0 1,82,200-2,14,100) में पदोन्नति की तिथि से लाभ दिया जाना है	स्तम्भ-5 में अंकित कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री भानु भास्कर	आरआर-1996	05-08-2013	श्री ज्योति नारायण, आरआर-1996	01-01-2021 पूर्वान्ह
2	श्री विक्रम ठाकुर	आरआर-1996	06-10-2002	श्री नवनीत सिकेरा, आरआर-1996	01-01-2021 पूर्वान्ह
3	डा0 राम कृष्ण स्वर्णकार	आरआर-1996	27-10-2017	श्री अमिताभ यश, आरआर-1996	01-01-2021 पूर्वान्ह

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

आबकारी विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

28 जनवरी, 2021 ई0

सं0 213/ई-1/तेरह-2021-146/2006—श्री हरिश्चन्द्र, संयुक्त आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रु0 8,700, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है। श्री हरिश्चन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल उपर्युक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

2—उपरोक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों/मा0 अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होंगे।

04 फरवरी, 2021 ई0

सं0 2537/ई-1/तेरह-2021-146/2016—आबकारी विभाग के निम्नलिखित आबकारी निरीक्षकों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर वेतनमान 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, नया वेतनमान रु0 56,100 से 1,77,500, लेवल-10 में वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही मौलिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0	नाम
1	श्री सुरेश कुमार
2	श्री कल्पनाथ रजक
3	श्री राजेन्द्र कुमार-1
4	श्री अखिलेश कुमार आर्य

2—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3—उपर्युक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल आबकारी निरीक्षक के पद से कार्यमुक्त होकर सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की नियमित तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। नियमित तैनाती होने तक वे पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।

सं0 2512/ई-1/तेरह-2021-146/2016—आबकारी विभाग के निम्नलिखित सहायक आबकारी आयुक्तों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप आबकारी आयुक्त के पद पर वेतनमान 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600, नया वेतनमान रु0 67,700 से 2,08,700, लेवल-11 में वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही मौलिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0	नाम
1	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
2	श्री कमला प्रसाद यादव
3	श्री सेवा लाल

2—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3—उपर्युक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल सहायक आबकारी आयुक्त के पद से कार्यमुक्त होकर उप आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की नियमित तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। नियमित तैनाती होने तक वे पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
योगेश कुमार शुक्ल,
विशेष सचिव।

चीनी उद्योग विभाग

अनुभाग-3

स्थायीकरण

02 फरवरी, 2021 ई0

सं0 79/46-3-21-28(73)/78—उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के पदोन्नति/सीधी भर्ती के अधिकारियों को, जिनके नाम एवं पदनाम नीचे दी गई तालिका के कालम-2 में अंकित हैं, तालिका के कालम-4 में उल्लिखित तिथि से, उन्हें उनके पद पर स्थायी किया जाता है—

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पद नाम	नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा) की तिथि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने/स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1	श्री साहब लाल यादव, बीज उत्पादन अधिकारी	10-10-2014 (सीधी भर्ती)	10-10-2016
2	श्री सुभाष यादव, जिला गन्ना अधिकारी	07-11-2014 (सीधी भर्ती)	07-11-2016
3	श्री प्रदीप कुमार, जिला गन्ना अधिकारी	26-09-2014 (सीधी भर्ती)	26-09-2016
4	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, सम्भागीय विख्यापन अधिकारी	01-09-1994 (सीधी भर्ती)	01-09-1996
5	श्री उपेन्द्र सिंह, सम्भागीय विख्यापन अधिकारी	20-11-2014 (सीधी भर्ती)	20-11-2016
6	श्री विनीत कुमार, बीज उत्पादन अधिकारी	22-02-2016 (सीधी भर्ती)	22-02-2018
7	श्री हुदा सिद्दीकी, जिला गन्ना अधिकारी	23-02-2016 (सीधी भर्ती)	23-02-2018

1	2	3	4
8	श्री शैलेन्द्र अस्थाना, जिला गन्ना अधिकारी	03-03-2016 (सीधी भर्ती)	03-03-2018
9	श्री ओम प्रकाश सिंह यादव, जिला गन्ना अधिकारी	29-10-2012 (पदोन्नति)	29-10-2014
10	श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, बीज उत्पादन अधिकारी	10-03-2017 (पदोन्नति)	10-03-2019
11	श्री संजय सिसोदिया, बीज उत्पादन अधिकारी	10-03-2017 (पदोन्नति)	10-03-2019
12	श्री ओम प्रकाश सिंह, जिला गन्ना अधिकारी	10-03-2017 (पदोन्नति)	10-03-2019
13	श्री सुनील कुमार सिंह, जिला गन्ना अधिकारी	10-03-2017 (पदोन्नति)	10-03-2019
14	डॉ0 हरिकृष्ण गुप्ता, बीज उत्पादन अधिकारी	10-03-2017 (पदोन्नति)	10-03-2019
15	डॉ0 सुधीर कुमार गुप्ता, जिला गन्ना अधिकारी	10-03-2017 (पदोन्नति)	10-03-2019
16	श्री कृष्ण कुमार, जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी	10-03-2017 (पदोन्नति)	10-03-2019
17	श्री कृष्ण मोहन मणि त्रिपाठी, जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी	10-03-2017 (पदोन्नति)	10-03-2019
18	कुलदीप सिंह, बीज उत्पादन अधिकारी	05-11-2014 (सीधी भर्ती)	05-11-2016

आज्ञा से,
संजय आर, भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती/स्थानान्तरण

19 जनवरी, 2021 ई0

सं0 राज्य कर-1-83(1)/11-2021-26/2020—श्री जय प्रकाश शुक्ला, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, बरेली को स्थानान्तरित करते हुये असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, सचल दल इकाई-गजरौला के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

29 जनवरी, 2021 ई0

सं0 राज्य कर-1-51/11-2020-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डिप्टी कमिश्नर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	2420	श्री अशोक कुमार सिंह-VIII
2	2421	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौरसिया
3	2422	श्री पंकज लाल
4	2423	श्री विजय कुमार सोनी
5	2425	श्री धर्मेन्द्र कुमार-I

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
संयुक्त सचिव।

01 फरवरी, 2021 ई0

सं0 राज्य कर-1-152/11-2021-24/2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	1842	श्री शिशिर प्रकाश
2	1844	श्री प्रकाश यादव

आज्ञा से,
सर्वज्ञ राम मिश्र,
विशेष सचिव।

08 फरवरी, 2021 ई0

सं0 राज्य कर-1-181/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डिप्टी कमिश्नर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	2426	श्री दिनेश कुमार-IV
2	2429	श्री रमेश कुमार यादव
3	2430	श्री राजेश कुमार

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
संयुक्त सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

05 फरवरी, 2021 ई0

सं0 R 175/38-1-2021-1 पदोन्नति/2017—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री गोपाल कृष्ण, खण्ड विकास अधिकारी, शामली को कार्यभार ग्रहण करने की

तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार), पे मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री गोपाल कृष्ण अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 R 176/38-1-2021-1 पदोन्नति/2017—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री सुनील कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, ललितपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार), पे मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री सुनील कुमार अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 R 177/38-1-2021-1 पदोन्नति/2016—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री प्रमोद कुमार, जिला विकास अधिकारी, शामली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त, पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री प्रमोद कुमार अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 R 178/38-1-2021-1 पदोन्नति/2016—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री मथुरा प्रसाद, उपायुक्त सम्बद्ध कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ, प्रभारी संयुक्त मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त, पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री मथुरा प्रसाद अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

08 फरवरी, 2021 ई0

सं0 44/81-1-2021-61(78)/2001—उ0प्र0 कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या 13/2/91-टी0सी-का-1/1991, दिनांक 20 मार्च, 1991 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 तथा पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 2608/2011 में दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को पारित निर्णय के अनुपालन में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 4/1/2000-टी0सी-1-का-2/2012, दिनांक 08 मई, 2012 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इनके अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 560/81-1-2020-61(78)/2001, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा निर्गत उ0प्र0 राज्य में कार्यरत राज्य वन सेवा के अधिकारियों की दिनांक 01 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार अनंतिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देश दिये गये कि इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित अधिकारियों को परिचालित कर आपत्तियां प्राप्त कर शासन को उपलब्ध

करायी जाय। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 के पत्रांक-ई-1638/10-46-5 (वरि0), दिनांक 29 जून, 2020 द्वारा परिचालित करते हुये अधिकारियों से ज्येष्ठता सूची को निर्गत कर 07 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी गयी। उक्त के क्रम में राज्य वन सेवा के 22 अधिकारियों के प्रत्यावेदन कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 को दिनांक 19 नवम्बर, 2020 तक प्राप्त हुये। इनके पत्रांक-ई0शा0-349/10-4-5(व0 सूची), दिनांक 19 नवम्बर, 2020 द्वारा निम्न 22 अधिकारियों की आपत्तियां व उनके सम्बन्ध में आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। प्राप्त प्रत्यावेदनों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	प्रत्यावेदन की तिथि
1	श्री विमल कुमार आनन्द	126	01-07-2020, 15-09-2020, 03-10-2020
2	श्री जगदेव सिंह	127	30-06-2020, 16-09-2020, 18-09-2020, 24-10-2020
3	श्री हरिशंकर शुक्ला	129	21-09-2020
4	श्री सतीश कुमार	130	01-07-2020
5	श्री कल्याण सिंह	160	01-07-2020, 14-09-2020, 17-09-2020, 26-10-2020
6	श्री अशोक चन्द्रा	161	02-06-2020, 05-06-2020
7	श्री अमित सिंह	166	14-07-2020
8	श्री उमेश तिवारी	167	13-07-2020
9	श्री विवेक यादव	169	13-07-2020
10	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	172	13-07-2020
11	श्री हरिकेश नारायण यादव	173	13-07-2020
12	श्री राकेश कुमार	174	13-07-2020
13	श्री राजीव कुमार	176	13-07-2020
14	सुश्री शिरीन	179	13-07-2020
15	श्री हरेन्द्र सिंह	180	15-07-2020
16	श्री राकेश चन्द्र यादव	181	08-07-2020, 14-07-2020
17	सुश्री ऊषा देवी	184	13-07-2020
18	श्री कपिल कुमार	187	14-07-2020
19	सुश्री अर्चना रावत	189	13-07-2020
20	श्री विमल कुमार सिंह	190	13-07-2020
21	श्री ज्ञान सिंह	191	13-07-2020
22	श्री अरूण कुमार	–	03-07-2020

2–राज्य वन सेवा के उक्त सदस्यों/अधिकारियों द्वारा ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में जो आपत्तियां की गयी है, उन आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :

(1) श्री विमल कुमार आनन्द–

आपत्ति–

श्री विमल कुमार आनन्द, सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 16 जून, 2020 को रा0व0से0 के अधिकारियों की जारी की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अपना नाम श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-139)

के नीचे तथा श्री माता प्रसाद गौतम (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-143) के ऊपर किये जाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि चयन वर्ष 2017-18 के सापेक्ष प्रार्थी की क्षेत्रीय वनाधिकारी की ज्येष्ठता क्रमांक 142 पूर्ववत अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2017-18 की रिक्ति के सापेक्ष लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक 142 के आरक्षित पद के सापेक्ष ही प्रार्थी को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

आख्या/निस्तारण–

उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न डी0पी0सी0 की संस्तुति में इनके सेवा सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण होने के कारण चयन समिति द्वारा संस्तुति में श्री विमल कुमार आनन्द के चयन पर विचारण स्थगित रखते हुये पद आरक्षित रखा गया। इस चयन की संस्तुति में इनके ऊपर श्री अवधेश कुमार पाण्डेय तथा इनके नीचे श्री माता प्रसाद गौतम का नाम संस्तुत है।

पुनः अनुपूरक चयन हेतु दिनांक 21 अगस्त, 2018 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में श्री विमल कुमार आनन्द की पदोन्नति की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में शासन के आदेश दिनांक 28 नवम्बर, 2018 में पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये।

इनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण किया गया तथा उनकी आपत्ति ग्राह्य पायी गयी, तद्नुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के अनुसार पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुरूप निर्धारित होगी। अतः श्री विमल कुमार आनन्द का नाम अन्तिम तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची में श्री अवधेश कुमार पाण्डेय के नीचे तथा श्री माता प्रसाद गौतम के ऊपर स्थित करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(2) श्री जगदेव सिंह–

आपत्ति–

श्री जगदेव सिंह, सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 16 जून, 2020 को रा0व0से0 के अधिकारियों की जारी की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अपना नाम श्री हरि सिंह (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-145) के नीचे तथा श्री जय प्रकाश सिंह (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-148) के ऊपर किये जाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि चयन वर्ष 2017-18 के सापेक्ष प्रार्थी की क्षेत्रीय वनाधिकारी की ज्येष्ठता क्रमांक 147 पूर्ववत अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य वन सेवा संवर्ग के अनतर्गत चयन वर्ष 2017-18 की रिक्ति के सापेक्ष लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक 147 के आरक्षित पद के सापेक्ष ही प्रार्थी को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

आख्या/निस्तारण–

उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न डी0पी0सी0 की संस्तुति में इनके सेवा सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण होने के कारण चयन समिति द्वारा संस्तुति में श्री जगदेव सिंह के चयन पर विचारण स्थगित रखते हुये पद आरक्षित रखा गया। इस चयन की संस्तुति में इनके ऊपर श्री हरि सिंह तथा इनके नीचे श्री जय प्रकाश सिंह का नाम संस्तुत है।

पुनः अनुपूरक चयन हेतु दिनांक 21 अगस्त, 2018 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में श्री जगदेव सिंह की पदोन्नति की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में शासन के आदेश दिनांक 28 नवम्बर, 2018 में पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये।

इनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण किया गया तथा उनकी आपत्ति ग्राह्य पायी गयी, तद्नुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के अनुसार पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुरूप निर्धारित होगी। अतः श्री जगदेव सिंह का नाम अन्तिम तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची में श्री हरि सिंह के नीचे तथा श्री जय प्रकाश सिंह के ऊपर स्थित करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(3) श्री हरिशंकर शुक्ला–

आपत्ति–

श्री हरिशंकर शुक्ला, सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 16 जून, 2020 को रा0व0से0 के अधिकारियों की जारी की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अपना नाम श्री अवध बिहारी द्वितीय (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-91) के नीचे

तथा श्री मधुर प्रकाश सक्सेना (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-93) के ऊपर किये जाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि चयन वर्ष 2017-18 के सापेक्ष प्रार्थी की क्षेत्रीय वनाधिकारी की ज्येष्ठता क्रमांक 92 पूर्ववत अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2017-18 की रिक्ति के सापेक्ष लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक 92 के आरक्षित पद के सापेक्ष ही प्रार्थी को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

आख्या/निस्तारण–

उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होने के कारण चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न डी0पी0सी0 की संस्तुति में इनका पद आरक्षित रखते हुये लिफाफा बन्द रखा गया। इस चयन की संस्तुति में इनके ऊपर श्री अवधि बिहारी द्वितीय तथा नीचे श्री मधुर प्रकाश सक्सेना का नाम संस्तुत है।

इस प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के बिना दण्ड समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 21 सितम्बर, 2018 को सम्पन्न अगली डी0पी0सी0 में पूर्व में आरक्षित पद के सापेक्ष इनकी पदोन्नति की गयी तथा शासन के आदेश दिनांक 28 नवम्बर, 2018 के द्वारा पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये।

इनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण किया गया तथा उनकी आपत्ति ग्राह्य पायी गयी, तद्नुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के अनुसार पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुरूप निर्धारित होगी। अतः श्री हरिशंकर शुक्ला को अन्तिम तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची में श्री अवधि बिहारी के नीचे तथा श्री मधुर प्रकाश सक्सेना के ऊपर स्थित करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(4) श्री सतीश कुमार–

आपत्ति–

श्री सतीश कुमार द्वारा, सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 16 जून, 2020 को रा0व0से0 के अधिकारियों की जारी की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अपना नाम क्रमांक 130 से हटाकर क्रम संख्या 113 में अंकित श्री संजय शर्मा के नीचे एवं क्रम संख्या 114 में अंकित श्री अविनाश पाण्डेय के ऊपर स्थान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

आख्या/निस्तारण–

उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न डी0पी0सी0 में इनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में संस्तुति अंकित नहीं की गयी। इस चयन की संस्तुति में इनके ऊपर श्री संजय शर्मा तथा इनके नीचे श्री अविनाश पाण्डेय का नाम संस्तुत है।

पुनः अनुपूरक चयन हेतु दिनांक 21 अगस्त, 2018 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में श्री सतीश कुमार की पदोन्नति की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में शासन के आदेश दिनांक 28 नवम्बर, 2018 में पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये।

इनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण किया गया तथा उनकी आपत्ति ग्राह्य पायी गयी, तद्नुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के अनुसार पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुरूप निर्धारित होगी। अतः श्री सतीश कुमार का नाम अन्तिम तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची में श्री संजय शर्मा के नीचे तथा श्री अविनाश पाण्डेय के ऊपर स्थित करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(5) श्री कल्याण सिंह–

आपत्ति–

श्री कल्याण सिंह, सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 16 जून, 2020 को रा0व0से0 के अधिकारियों की जारी की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अपना नाम श्री प्रवीण खरे (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-98) के नीचे तथा श्री गंगादत्त (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-101) के ऊपर किये जाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि चयन वर्ष

2017-18 के सापेक्ष प्रार्थी की क्षेत्रीय वनाधिकारी की ज्येष्ठता क्रमांक 142 पूर्ववत अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2017-18 की रिक्ति के सापेक्ष लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक 99 के आरक्षित पद के सापेक्ष ही प्रार्थी को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

आख्या/निस्तारण–

उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न डी0पी0सी0 की संस्तुति में इनके सेवा सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण होने के कारण चयन समिति द्वारा संस्तुति में श्री कल्याण सिंह के चयन को स्थगित करते हुये पद आरक्षित रखा गया। इस चयन की संस्तुति में इनके ऊपर श्री प्रवीण खरे तथा इनके नीचे श्री गंगादत्त मिश्रा का नाम संस्तुत है।

पुनः अनुपूरक चयन हेतु दिनांक 21 अगस्त, 2018 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में श्री कल्याण सिंह की पदोन्नति की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में शासन के आदेश दिनांक 08 जनवरी, 2019 में पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये।

इनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण किया गया तथा उनकी आपत्ति ग्राह्य पायी गयी, तद्नुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के अनुसार पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुरूप निर्धारित होगी। अतः श्री कल्याण सिंह का नाम अन्तिम तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची में श्री पवीण खरे के नीचे तथा श्री गंगादत्त मिश्रा के ऊपर स्थित करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(6) श्री अशोक चन्द्रा–

आपत्ति–

श्री अशोक चन्द्रा ने अवगत कराया है कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित फॉरेस्ट रेंजर परीक्षा वर्ष 1988-89 द्वारा इनका चयन किया गया था। किन्हीं कारणों से वह प्रशिक्षण में ससमय नहीं जा सके। बाद में प्रशिक्षण करने के कारण क्षेत्रीय वनाधिकारी की वरिष्ठता सूची में इनका नाम काफी नीचे हो गया। जनवरी, 2019 में पदोन्नत सहायक वन संरक्षक के पद पर की गयी, लेकिन वरिष्ठता सूची में उनका नाम उसी क्रमांक में रखा गया, जो क्षेत्रीय वनाधिकारी की वरिष्ठता सूची में था। क्षेत्रीय वनाधिकारी की वरिष्ठता सूची में इनका नाम श्री राजकुमार और श्री यशवन्त के बाद तथा श्री दिलीप कुमार से पहले होना चाहिये। राज्य वन सेवा की वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

आख्या/निस्तारण–

श्री अशोक चन्द्रा का सहायक वन संरक्षक के पद पर चयन क्षेत्रीय वनाधिकारी की वरिष्ठता सूची 01 जनवरी, 2018 की स्थिति के आधार पर किया गया है। श्री अशोक चन्द्रा द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी की सूची को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। इसलिये इनका यह कथन कि राज्य वन सेवा संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में उनका नाम पीछे हो गया, मान्य नहीं है। शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 27/14-1-2019-43/2017, दिनांक 11 जनवरी, 2019 द्वारा श्री अशोक चन्द्रा को राज्य वन सेवा के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से प्रदोन्नति प्रदान की गयी है। तदनुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के अनुसार ज्येष्ठता सूची में पदोन्नति आदेश के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री अशोक चन्द्रा का नाम यथा स्थान क्रमांक 161 पर दिया गया है।

श्री चन्द्रा की पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में इनकी ज्येष्ठता के पुनर्निर्धारण पर विचार किये जाने के उपरान्त ही पदोन्नत संवर्ग सहायक वन संरक्षक की ज्येष्ठता सूची में इनकी ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने पर निर्णय लिया जा सकता है। श्री चन्द्रा की पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में इनकी ज्येष्ठता के पुनर्निर्धारण हेतु शासन के पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2021 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित किया जा चुका है। अतः श्री चन्द्रा की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

(7 से 21 तक)–

(7) श्री अमित सिंह, (8) श्री उमेश तिवारी, (9) श्री विवेक यादव, (10) श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, (11) श्री हरीकेश नारायण यादव, (12) श्री राकेश कुमार, (13) श्री राजीव कुमार, (14) सुश्री शिरीन, (15) श्री हरेन्द्र सिंह, (16) श्री राकेश चन्द्र यादव, (17) सुश्री ऊषा देवी, (18) श्री कपिल कुमार, (19) सुश्री अर्चना यादव, (20) श्री विमल कुमार सिंह, (21) श्री ज्ञान सिंह

आपत्ति–

क्रमांक 7 से 21 अंकित प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षकों द्वारा राज्य वन सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त सेवकों को उनके कोटा के पद की उपलब्धता के आधार पर पहले से ज्येष्ठता दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

आख्या/निस्तारण–

क्रम संख्या 7 से 21 तक अंकित प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षकों द्वारा राज्य वन सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त सेवकों को उनके कोटा के पद की उपलब्धता के आधार पर पहले से ज्येष्ठता दिये जाने का अनुरोध किया गया है। विदित है कि शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 783/14-1-2019-50/2007, दिनांक 14 जून, 2019 एवं 1352/81-1-2019-50/2007, दिनांक 21 अगस्त, 2019 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सहायक वन संरक्षक परीक्षा, 2013 में सहायक वन संरक्षक के पद पर चयनित सीधी भर्ती के क्रमांक (7) श्री अमित सिंह, (8) श्री उमेश तिवारी, (9) श्री विवेक यादव, (10) श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, (11) श्री हरीकेश नारायण यादव, (12) श्री राकेश कुमार, (13) श्री राजीव कुमार, (14) सुश्री शिरीन, (15) श्री हरेन्द्र सिंह, (16) श्री राकेश चन्द्र यादव, (17) सुश्री ऊषा देवी, (18) श्री कपिल कुमार, (19) सुश्री अर्चना यादव, (20) श्री विमल कुमार सिंह, (21) श्री ज्ञान सिंह को सहायक वन संरक्षक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के भाग-2 के नियम-8 में प्राविधान है कि नियुक्तियों पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से किये जाने की स्थिति में वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश दिनांक से निर्दिष्ट उप नियमों/उपबन्धों के अधीन की जायेगी और दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाने पर उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं।

अतः उक्त प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षकों को उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के अनुसार ज्येष्ठता सूची में यथास्थान क्रमशः श्री अमित सिंह को क्रमांक-166, श्री उमेश तिवारी को क्रमांक-167, श्री विवेक यादव को क्रमांक-169, श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को क्रमांक-172, श्री हरीकेश नारायण यादव को क्रमांक-173, श्री राकेश कुमार को क्रमांक-174, श्री राजीव कुमार को क्रमांक-176, सुश्री शिरीन को क्रमांक-179, श्री हरेन्द्र सिंह को क्रमांक-180, श्री राकेश चन्द्र यादव को क्रमांक-181, सुश्री ऊषा देवी को क्रमांक-184, श्री कपिल कुमार को क्रमांक-187, सुश्री अर्चना राव को क्रमांक-189, श्री विमल कुमार सिंह को क्रमांक-190, श्री ज्ञान सिंह को क्रमांक-191 पर स्थान दिया गया है। अतः उक्त प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षकों की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

(22) श्री अरूण कुमार–

आपत्ति–

श्री अरूण कुमार ने अवगत कराया है कि इनका प्रमोशन दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 से होना चाहिये तथा वरिष्ठता क्रमांक-66 के अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह के नीचे तथा क्रमांक-67 के अधिकारी श्री अतुलकांत शुक्ला के ऊपर होना चाहिये।

आख्या/निस्तारण–

उ0प्र0 राज्य वन सेवा के अधिकारियों की अनंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01 सितम्बर, 2019 की स्थिति पर आधारित है। श्री अरूण कुमार को शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 752/81-1-2019-43/2017, दिनांक 25 जून, 2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान की गयी है इसलिये अनंतिम वरिष्ठता सूची में

उनका नाम शामिल नहीं है। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के अनुसार अगले पुनरीक्षण में इनका नाम शामिल करते हुये यथास्थान अंकित किया जायेगा। अतः श्री अरूण कुमार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

3—कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा निर्गत अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का प्रस्तर-2 में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निस्तारित करते हुये उक्त अधिकारियों के नाम तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची संलग्नक में यथास्थान अंकित कर दिया गया है। एतद्द्वारा राज्य वन सेवा के अधिकारियों की दिनांक 01 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार राज्य वन सेवा के अधिकारियों की अंतिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की जाती है।

09 फरवरी, 2021 ई0

सं0 149/81-1-2021-61(78)/2001—उ0प्र0 राज्य में कार्यरत राज्य वन सेवा में अधिकारियों की दिनांक 01 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 560/81-1-2020-61(78)/2001, दिनांक 16 जून, 2020 के द्वारा निर्गत की गयी है। इस सूची में अंकित अधिकारियों में से 21 अधिकारियों की आपत्तियां/प्रत्यावेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष से शासन को प्राप्त हुये। इन आपत्तियों/प्रत्यावेदनों का निस्तारण करते हुये उ0प्र0 राज्य में कार्यरत राज्य वन सेवा में अधिकारियों की दिनांक 01 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 44/81-1-2021-61(78)/2001, दिनांक 08 फरवरी, 2021 के द्वारा निर्गत की गयी है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं रहे राज्य वन सेवा के 04 अधिकारियों 1—श्री राजेश निगम, 2—श्री नरेन्द्र कुमार तथा 3—श्री राकेश कुमार सिंह, 4—श्री अरूण कुमार (प्रत्यावेदन दिनांक 03 जुलाई, 2020) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिये गये हैं। उन प्रत्यावेदन में ज्येष्ठता सूची में अपना नाम पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के अनुसार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2—राज्य वन सेवा के उक्त 04 सदस्यों/अधिकारियों द्वारा ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में जो आपत्तियां/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये हैं, उनकी आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :

(1) श्री राजेश निगम (प्रत्यावेदन दिनांक 31-12-2020)—

आपत्ति—

श्री राजेश निगम, सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 16 जून, 2020 को रा0व0से0 के अधिकारियों की जारी की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अपना नाम श्री सुरेश चन्द्र (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-67) के नीचे तथा श्री उदय प्रताप सिंह (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-69) के ऊपर किये जाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि चयन वर्ष 2016-17 के सापेक्ष प्रार्थी की क्षेत्रीय वनाधिकारी की ज्येष्ठता क्रमांक 68 पूर्ववत अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2016-17 की रिक्ति के सापेक्ष लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक 68 के आरक्षित पद के सापेक्ष ही प्रार्थी को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

आख्या/निस्तारण—

उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को सम्पन्न डी0पी0सी0 की संस्तुति में श्री राजेश निगम का लिफाफा बन्द होने के कारण चयन समिति द्वारा पद आरक्षित किये जाने की संस्तुति की। इस चयन की संस्तुति में इनके ऊपर श्री सुरेश चन्द्र तथा नीचे श्री उदय प्रताप सिंह का नाम संस्तुत है।

पुनः चयन वर्ष 2020-21 हेतु दिनांक 03 नवम्बर, 2020 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में श्री राजेश निगम की पदोन्नति की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में शासन के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2020 में पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये।

इनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण किया गया तथा उनकी आपत्ति ग्राह्य पायी गयी, तद्नुसार इनकी ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के अनुसार पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुरूप निर्धारित होगी। अतः श्री राजेश निगम का नाम शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 फरवरी, 2021 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री सुरेश चन्द्र के नीचे तथा श्री उदय प्रताप सिंह के ऊपर स्थापित करते हुये इनका प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(2) श्री नरेन्द्र कुमार (प्रत्यावेदन दिनांक 20-11-2020)–

आपत्ति–

श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 16 जून, 2020 को रा0व0से0 के अधिकारियों की जारी की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अपना नाम श्री रूस्तम परवेज (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-67) के नीचे तथा श्री उदय प्रताप सिंह (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-69) के ऊपर किये जाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि चयन वर्ष 2016-17 के सापेक्ष प्रार्थी की क्षेत्रीय वनाधिकारी की ज्येष्ठता क्रमांक 68 पूर्ववत अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2016-17 की रिक्ति के सापेक्ष लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक 68 के आरक्षित पद के सापेक्ष ही प्रार्थी को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

आख्या/निस्तारण–

उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को सम्पन्न डी0पी0सी0 की संस्तुति में श्री नरेन्द्र कुमार का लिफाफा बन्द होने के कारण चयन समिति द्वारा पद आरक्षित किये जाने की संस्तुति की। इस चयन की संस्तुति में इनके ऊपर श्री रूस्तम परवेज तथा नीचे श्री राजेन्द्र कुमार यादव का नाम संस्तुत है।

पुनः चयन वर्ष 2020-21 हेतु दिनांक 03 नवम्बर, 2020 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में श्री नरेन्द्र कुमार की पदोन्नति की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में शासन के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2020 में पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये।

इनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण किया गया तथा उनकी आपत्ति ग्राह्य पायी गयी, तद्नुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के अनुसार पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुरूप निर्धारित होगी। अतः श्री नरेन्द्र कुमार का नाम शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 फरवरी, 2021 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री रूस्तम परवेज के नीचे स्थापित करते हुये इनका प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(3) श्री राकेश कुमार सिंह (प्रत्यावेदन दिनांक 08-12-2020)–

आपत्ति–

श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 16 जून, 2020 को रा0व0से0 के अधिकारियों की जारी की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अपना नाम श्री राम सुरेश यादव (पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक-86) के ऊपर किये जाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि चयन वर्ष 2017-18 के सापेक्ष प्रार्थी की क्षेत्रीय वनाधिकारी की ज्येष्ठता क्रमांक 85 पूर्ववत अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2017-18 की रिक्ति के सापेक्ष लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रार्थी को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

आख्या/निस्तारण–

सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नत प्रतिभाग के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के द्वारा चयन समिति की बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2020 को आहूत हुई। इस बैठक में चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप 12 क्षेत्रीय वन अधिकारियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति करने के

आदेश कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 नवम्बर, 2020 के द्वारा निर्गत किये गये इसमें क्रम संख्या 3 पर श्री राकेश कुमार सिंह का नाम सम्मिलित है।

पोषक संवर्ग क्षेत्रीय वन अधिकारी की ज्येष्ठता सूची (दिनांक 01 जनवरी, 2017 के अनुसार) में श्री राकेश कुमार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक 85) का नाम अनिल कुमार द्वितीय (ज्येष्ठता क्रमांक 84) के नीचे तथा श्री राम सुरेश यादव (ज्येष्ठता क्रमांक 86) के ऊपर अवस्थित है।

इनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण किया गया तथा उनकी आपत्ति ग्राह्य पायी गयी, तद्नुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के अनुसार पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुरूप निर्धारित होगी। अतः श्री राकेश कुमार सिंह का नाम शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 फरवरी, 2021 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री अनिल कुमार द्वितीय के नीचे तथा श्री राम सुरेश यादव के ऊपर स्थापित करते हुये इनका प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(22) श्री अरूण कुमार (प्रत्यावेदन दिनांक 03-07-2020)–

आपत्ति–

श्री अरूण कुमार ने अवगत कराया है कि इनका प्रमोशन दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 से होना चाहिये तथा वरिष्ठता क्रमांक 66 के अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह के नीचे तथा क्रमांक 67 के अधिकारी श्री अतुलकांत शुक्ला के ऊपर होना चाहिये।

आख्या/निस्तारण–

सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नत प्रतिभाग के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के द्वारा चयन समिति की बैठक दिनांक 03 जून, 2020 को आहूत हुई। इस बैठक में चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप 20 क्षेत्रीय वन अधिकारियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति करने के आदेश कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 नवम्बर, 2020 के द्वारा निर्गत किये गये इसमें क्रम संख्या 1 पर श्री अरूण कुमार का नाम सम्मिलित है।

पोषक संवर्ग क्षेत्रीय वन अधिकारी की ज्येष्ठता सूची (दिनांक 01 जनवरी, 2017 के अनुसार) में श्री अरूण कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक 72) का नाम श्री अरूण कुमार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक 71) के नीचे तथा श्री अतुल कुमार शुक्ला (ज्येष्ठता क्रमांक 73) के ऊपर अवस्थित है।

इनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण किया गया तथा उनकी आपत्ति ग्राह्य पायी गयी, तद्नुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के अनुसार पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुरूप निर्धारित होगी। अतः श्री अरूण कुमार का नाम शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 फरवरी, 2021 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री अरूण कुमार सिंह के नीचे तथा श्री अतुलकान्त शुक्ला के ऊपर स्थापित करते हुये इनका प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सहायक वन संरक्षक की दिनांक 01 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 08 फरवरी, 2021 को एतद्द्वारा इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति

सं0 188/81-1-2021-9/2011–मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित), उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक ई0शा0-528/10-1-14(3)(vol-3), दिनांक 01 फरवरी, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर निम्नलिखित

प्रान्तीय वन सेवा के अधिकारी वर्ष 2021 में अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्त माने जायेंगे–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री–		
1	एस0पी0 सिंह	05-01-1961	31-01-2021
2	प्रकाश चन्द्र पाण्डेय	07-01-1961	31-01-2021
3	सतीश कुमार श्रीवास्तव	08-01-1961	31-01-2021
4	मनोज कुमार शुक्ला	10-01-1961	31-01-2021
5	देवेन्द्र बहादुर सिंह	15-01-1961	31-01-2021
6	रघुनाथ मिश्र	15-01-1961	31-01-2021
7	योगेश चन्द्र जायसवाल	18-01-1961	31-01-2021
8	राजपाल सिंह	28-02-1961	28-02-2021
9	ओम प्रकाश सिंह	05-03-1961	31-03-2021
10	सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी	12-03-1961	31-03-2021
11	धनश्याम राय	01-04-1961	31-03-2021
12	चन्द्रकान्त मिश्र	01-05-1961	30-04-2021
13	सुरेश चन्द्र	17-05-1961	31-05-2021
14	रमेश चन्द्र भट्ट	05-06-1961	30-06-2021
15	अरूण कुमार	07-06-1961	30-06-2021
16	विवेक कुमार	08-06-1961	30-06-2021
17	अंकेश कुमार श्रीवास्तव	14-06-1961	30-06-2021
18	विजय कुमार सिंह	15-06-1961	30-06-2021
19	अनिल कुमार दीक्षित	20-06-1961	30-06-2021
20	रण विजय सिंह	24-06-1961	30-06-2021
21	राकेश त्रिपाठी	25-06-1961	30-06-2021
22	दिनेश कुमार सिंह	01-07-1961	30-06-2021
23	गिरीश चन्द्र त्रिपाठी	01-07-1961	30-06-2021
24	महेन्द्र सिंह यादव	01-07-1961	30-06-2021
25	दिनेश कुमार	01-07-1961	30-06-2021
26	राम प्रकाश प्रजापति	01-08-1961	31-07-2021

1	2	3	4
	सर्वश्री–		
27	सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय	05-09-1961	30-09-2021
28	मधुर प्रकाश सक्सेना	06-10-1961	31-10-2021
29	बनारसी दास	10-10-1961	31-10-2021
30	देवेन्द्र सिंह	10-10-1961	31-10-2021
31	वीरेन्द्र कुमार भूषण	01-11-1961	31-10-2021

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-10

पदोन्नति

08 फरवरी, 2021 ई0

सं0 249/सत्ताईस-10-21-36रिया/2019–मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष दाखिल रिट याचिका संख्या 10546(एस0एस0)/2019 सुरेश पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2019 को निर्णय पारित किया गया, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नलिखित है–

"...Accordingly, the order dated 14.03.2018, which is contained as Annexure No. 8 to the writ petition, is hereby quashed.

A writ in the nature of mandamus is issued commanding the opposite parties to consider the candidature of the petitioner for promotion to the post of Superintending Engineer with effect from 21.02.2014 and allow him promotion to the post of Superintending Engineer (Machanical) in the Department of Irrigation *w.e.f.* 21.02.2014 with all consequential service benefits with expedition preferably within a period of two months from the date of production of a certified copy of this order. The writ pettion is, therefor, allowed."

2–मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 22 जुलाई, 2019 के अनुपालन में याची श्री सुरेश पाण्डेय के आसन्न कनिष्ठ श्री सुरेश कुमार सचान की अधीक्षण अभियन्ता (यां0) के पद पर पदोन्नति की तिथि 21 फरवरी, 2014 से नोशनल पदोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में की गयी संस्तुति के आलोक में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 179/सत्ताईस-10-20-36रिया/2019, दिनांक 01 फरवरी, 2021 द्वारा चयन वर्ष 2013-14 में अधीक्षण अभियन्ता (यां0) का वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु0 8,700 में दिनांक 21 फरवरी, 2014 से दिनांक 01 जनवरी, 2015 तक की अवधि के लिये सृजित एक अधिसंख्य पद पर श्री सुरेश पाण्डेय को उनसे आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 21 फरवरी, 2014 से नोशनल पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3–याची को उक्त नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य समस्त परिणामी सेवा लाभ नियमानुसार देय होंगे।

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
अपर मुख्य सचिव।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

अनुभाग-4

पदोन्नति

01 फरवरी, 2021 ई0

सं0 228/76-4-2021-2/4 (53)/2012—श्री सुनील कुमार पाल, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई को नियमित चयनोपरान्त अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600, पे मैट्रिक्स लेवल-11 में योगदान करने की तिथि से, पदोन्नति प्रदान करते हुये एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री सुनील कुमार पाल, लघु सिंचाई विभाग, मुख्यालय में योगदान करते हुये अग्रिम आदेशों/तैनाती तक पूर्ववत् अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

3—उक्त अधिशासी अभियंता की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अशोक कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—48 हिन्दी गजट—भाग 1—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 फरवरी, 2021 ई० (फाल्गुन 8, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

January 02, 2021

No. 01/Admin.(Services)-2021–Sri Durg Narain Singh, Principal Judge, Family Court, Gonda to be District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 02/Admin.(Services)-2021–Partial modification in Court's Notification No. 2218/Admin. (Services)/ 2020 dated December 31, 2020, the words 'Junior Division' be read as 'Senior Division'.

January 06, 2021

No. 03/Admin.(Services)-2021–Sri Ahmad Ulla Khan, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra *vice* Sri Shiva Nand Singh.

He is also appointed under section 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Agra against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 04/Admin.(Services)-2021–Sri Shiva Nand Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Agra *vice* Sri Anil Kumar-II.

He is also appointed under section 5(2) of U. P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Agra against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 05/Admin.(Services)-2021–Sri Anil Kumar-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Special Judge, Agra for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Rajesh Kumar-I.

No. 06/Admin.(Services)-2021–Sri Rajesh Kumar-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

January 07, 2021

No. 07/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government Notification No. 1/2021/1910/ Saat-Nyay-2-2020-216G/2007 TC-1, dated January 05, 2021, Sri Naved Akhtar, Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Laharpur, District Sitapur in the newly created court, created *vide* G.O. No. 25/2015/1462/Saat-Nyay-2-2015-216G/2007, dated 24-11-2015.

No. 08/Admin.(Services)-2021–Sushri Yugmita Pratap, Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sitapur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Sulochna Verma.

No. 09/Admin.(Services)-2021–Sushri Sulochna Verma, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sitapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur.

No. 10/Admin.(Services)-2020–Sri Rajesh Upadhyay, Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Nyay Vibhag), Government of Uttar Pradesh, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna.

No. 11/Admin.(Services)-2020–Smt. Shalini Sagar, Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Special Judge, Kushinagar at Padrauna for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Shyam Mohan Jaiswal.

No. 12/Admin.(Services)-2020–Sri Shyam Mohan Jaiswal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna in the vacant Court for trying cases of crime against Women.

January 08, 2021

No. 13/Admin.(Services)-2020–Pursuant to U. P. Government Notification/Appointment No. 843/II-4-2020, dated December 18, 2020, Sushri Pooja Sharma, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bijnor.

No. 14/Admin.(Services)-2020–Pursuant to U. P. Government Notification/Appointment No. 843/II-4-2020, dated December 18, 2020, Sri Rajan Rathee, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Baghpat for trying cases of crime against Women in the vacant court.

No. 15/Admin.(Services)-2020–Pursuant to U. P. Government Notification/Appointment No. 843/II-4-2020, dated December 18, 2020, Sri Ankush Srivastava, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bahraich.

No. 16/Admin.(Services)-2020–Pursuant to U. P. Government Notification/Appointment No. 843/II-4-2020, dated December 18, 2020, Sushri Sanghmitra, candidate of Civil Judge, Junior Division is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot.

No. 17/Admin.(Services)-2020–Pursuant to U. P. Government Notification/Appointment No. 843/II-4-2020, dated December 18, 2020, Sushri Mikky Singh, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Hathras.

No. 18/Admin.(Services)-2020–Sushri Shakshi Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Hathras is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hathras *vice* Sri Yogesh Jain.

No. 19/Admin.(Services)-2020–Sri Yogesh Jain, Judicial Magistrate, First Class, Hathras to be Civil Judge (Junior Division), Hathras.

January 16, 2021

No. 20/Admin.(Services)-2020–Sri Amar Jeet Tripathi, District & Sessions Judge, Basti to be District & Sessions Judge, Allahabad *vice* Sri Vinod Kumar-III.

No. 21/Admin.(Services)-2020–Sri Vinod Kumar-III, District & Sessions Judge, Allahabad to be District & Sessions Judge, Basti *vice* Sri Amar Jeet Tripathi.

No. 22/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O. M. No. 999/II-4-2020-3(5)/91 T.C., dated January 13, 2021, Sri Ashok Kumar-VII, Presiding Officer, Motor Accident Claim Tribunal, Jalaun at Orai is appointed/posted as Member Secretary, Uttar Pradesh, State Legal Services Authority, Lucknow on deputation basis.

January 21, 2021

No. 23/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Govt. O. M. No. 17/Do-4-2021-26/2(3)/82 TC, dated January 20, 2021, Sri Vivek Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Etawah is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Unnao.

No. 24/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Govt. O. M. No. 17/Do-4-2021-26/2(3)/82 TC, dated January 20, 2021, Sri Brijendra Kumar Tyagi, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Farrukhabad.

No. 25/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Govt. O. M. No. 17/Do-4-2021-26/2(3)/82 TC, dated January 20, 2021, Sri Shailesh Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Amroha is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Bhadohi at Gyanpur.

No. 26/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Govt. O. M. No. 17/Do-4-2021-26/2(3)/82 TC, dated January 20, 2021, Sri Rajeev Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Jalaun at Orai.

No. 27/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Govt. O. M. No. 17/Do-4-2021-26/2(3)/82 TC, dated January 20, 2021, Sri Surendra Prasad Yadav, Additional District & Sessions Judge, Sitapur is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mau.

No. 28/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Govt. O. M. No. 17/Do-4-2021-26/2(3)/82 TC, dated January 20, 2021, Sri Anupam Goyal, Additional District & Sessions Judge, Lalitpur is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Barabanki.

No. 29/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Govt. O. M. No. 17/Do-4-2021-26/2(3)/82 TC, dated January 20, 2021, Sri Sanjiv Kumar, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Barabanki is appointed/posted as Presiding Officer, Commercial Court, Aligarh.

No. 30/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Govt. O. M. No. 17/Do-4-2021-26/2(3)/82 TC, dated January 20, 2021, Sri Sunil Kumar-V, Additional District & Sessions Judge, Bijnor is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Allahabad.

No. 31/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government Notification No. 36/2020/1849/Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated December 11, 2020, Sri Neeraj Kumar Bakshi, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Maharajganj is appointed/posted as Additional Principal Judge, Family Court, Maharajganj.

No. 32/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government Notification No. 04/2021/85/Saat-Nyay-2-2021-58G/2001, dated January 19, 2021, Sri Brijendra Mani Tripathi, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Allahabad is appointed/posted as Additional Principal Judge, Family Court, Gonda.

No. 33/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Govt. O. M. No. 15/Do-4-2021-12(1)/98 TC-III, dated January 20, 2021, Sri Harendra Bahadur Singh, Special Judge, Court No. 4 (Prevention of Corruption Act), Lucknow is appointed/posted as Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Nyay Vibhag), Government of Uttar Pradesh, Lucknow on deputation basis.

January 23, 2021

No. 34/Admin.(Services)-2021–Smt. Tahreen Khan, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Lucknow *vice* Smt. Priya Saxena.

No. 35/Admin.(Services)-2021–Smt. Priya Saxena, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Lucknow to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Unnao *vice* Sri Sanjay Singh-II.

No. 36/Admin.(Services)-2021–Sri Sanjay Singh-II, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Unnao to be Additional Chief Judicial Magistrate, Unnao.

No. 37/Admin.(Services)-2021–Sri Peeyush Tripathi, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Civil Judge, Senior Division, Unnao in the newly created court, created *vide* G.O. No. 10/ 2016/ 870/ Saat-Nyay-2-2016-85G/ 2012, dated July 06, 2016.

No. 38/Admin.(Services)-2021–Sri Mohammed Qamruzzama Khan, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etawah *vice* Smt. Anjana.

He is also appointed under section 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Etawah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 39/Admin.(Services)-2021–Smt. Anjana, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etawah *vice* Sri Avdhesh Kumar.

She is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Etawah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 40/Admin.(Services)-2021–Sri Avdhesh Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Etawah *vice* Sri Husain Ahmad Ansari for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 41/Admin.(Services)-2021–Sri Husain Ahmad Ansari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Etawah.

No. 42/Admin.(Services)-2021–Sri Prakash Chandra Shukla, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jaunpur *vice* Sri Mahendra Singh-IV.

He is also appointed U/s 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Jaunpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 43/Admin.(Services)-2021–Sri Mahendra Singh-IV, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 44/Admin.(Services)-2021–Sri Ramesh Dubey, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jaunpur *vice* Smt. Shazia Nazar Zaidi for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Artocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 45/Admin.(Services)-2021–Smt. Shazia Nazar Zaidi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 46/Admin.(Services)-2021–Sri Swapan Deep Singhal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Amroha to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Amroha *vice* Sri Umesh Kumar-II for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 47/Admin.(Services)-2021–Sri Umesh Kumar-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Amroha to be Additional District & Sessions Judge. Amroha.

No. 48/Admin.(Services)-2021–Dr. (Smt.) Pallavi Agarwal, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bulandshahar in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

No. 49/Admin.(Services)-2021–Sri Virendra Kumar-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 50/Admin.(Services)-2021–Sri Ramayan Sharma, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sitapur *vice* Sri Rahul Kumar Katyan.

He is also appointed U/s 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sitapur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 51/Admin.(Services)-2021–Sri Rahul Kumar Katyan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 52/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Suchit, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additonal District & Sessions Judge/Special Judge, Sitapur *vice* Sri Ram Kushal for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 53/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Kushal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 54/Admin.(Services)-2021–Sri Champat Singh, Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bijnor *vice* Sri Baljor Singh.

He is also appointed U/s 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bijnor against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 55/Admin.(Services)-2021–Sri Baljor Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge, Bijnor.

No. 56/Admin.(Services)-2021–Dr. (Smt.) Manu Kalia, Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additonal District & Sessions Judge/Special Judge, Bijnor *vice* Sri Raj Kumar Bansal for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 57/Admin.(Services)-2021–Sri Raj Kumar Bansal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge, Bijnor.

No. 58/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government Notification No. 02/2021/1922/Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated January 11, 2021, Smt. Sangita Kumari, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional Principal Judge, Family Court, Hardoi.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

January 01, 2021

No. 121–In view of prevailing transfer policy, following 01 Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, who has been drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Joint Registrar
1	2	3
1	3297	Sri Shiv Prasad

No. 122–From the date of taking over charge, following 01 Deputy Registrar, High Court of Judicature at Allahabad is hereby provisionally promoted as Joint Registrar in the pay scale Level-13, subject to clearing of training and interview as per Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Deputy Registrar
1	2	3
1	3308	Sri Uma Shanker-II

(The provisional promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Uma Shanker-II will draw salary from Lucknow Bench of this Court as Joint Registrar).

No. 123–In view of prevailing transfer policy, following 02 Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, who has been drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Deputy Registrar	Remarks
1	2	3	4
		S./Sri-	
1	3420	Parimal Chaturvedi	In the vacancy to occur due to provisional promotion of Deputy Registrar, notified above.
2	3424	Ram Rakhan Singh	

No. 124–From the date of taking over charge, following 02 Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad are hereby provisionally promoted as Deputy Registrar in the pay scale Level-12, subject to clearing of interview as per Rule 20(c) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Assistant Registrar
1	2	3
		S./Sri-
1	3445	Rajesh Kumar Gupta
2	3480	Raj Kumar Kushwaha

(The provisional promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

(In view of prevailing transfer policy, S./Sri Rajesh Kumar Gupta and Raj Kumar Kushwaha will draw salary from Lucknow Bench of this Court as Deputy Registrar).

No. 125–From the date of taking over charge, following 02 Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad are hereby provisionally promoted as Assistant Registrar in the pay scale Level-11, subject to clearing of interview as per Rule 20(a) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Section Officer
1	2	3
		S./Sri-
1	6090	Ajay Singh
2	6091	Jitendra Kumar

(The provisional promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

No. 126–From the date of taking over charge, following 02 Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad are hereby promoted as Section Officer in the pay scale Level-10, with the condition that their promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Review Officer
1	2	3
		Ms.-
1	7388	Vibhuti Singh
2	7389	Anjali Malviya

No. 127–From the date of taking over charge, Sri Emtyaz Ahamad, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. no. 3425), High Court, Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court, Allahabad in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7th Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Kuldeep.

No. 128–From the date of taking over charge, Sri Chandra Prakash Singh, Bench Secretary Grade-I, (Emp. no. 7071), High Court, Allahabad is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, High Court, Allahabad in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Emtyaz Ahamad.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

No. 129–From the date of taking over charge, Sri Mithai Lal Kushwaha, (Emp. no. 1461), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court, Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum- Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of P. B.-4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,700 (Level-13 Revised as per 7th Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Liaqat Ali.

No. 130–From the date of taking over charge, Smt. Itu Banerjee, (Emp. no. 1533), Assistant Registrar-cum- Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7th Pay Commission) in the vacancy caused on account of promotion of Sri Mithai Lal Kushwaha.

No. 131–From the date of taking over charge, Sri Susheel Kumar, (Emp. no. 3516), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Smt. Itu Banerjee.

No. 132–From the date of taking over charge, Sri Deepak Kumar Pandey, (Emp. no. 3711), Additional Private Secretary, High Court, Allahabad is hereby promoted as Private Secretary Grade-I, in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 5,400 (Level-10 Revised as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Susheel Kumar.

(All the promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

January 04, 2021

No. 133–From the date of taking over charge, following 01 Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad is hereby provisionally promoted as Assistant Registrar in the pay scale Level-11, subject to clearing of interview as per Rule 20(a) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Section Officer
1	2	3
1	6085	Sri Kailash Nath Pandey

(The provisional promotion, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

No. 134–From the date of taking over charge, following 01 Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Section Officer in the pay scale Level-10, with the condition that his promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Review Officer
1	2	3
1	7391	Sri Rakesh Kumar

January 13, 2021

No. 135–From the date of taking over charge, following 01 Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad is hereby provisionally promoted as Assistant Registrar in the pay scale Level-11, subject to clearing of interview as per Rule 20(a) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Section Officer
1	2	3
1	6089	Sri Gyan Singh

(The Provisional promotion, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

No. 136–From the date of taking over charge, following 01 Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Section Officer in the pay scale Level-10, with the condition that her promotion shall be subject to result or Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Review Officer
1	2	3
1	7392	Smt. Abhilasha Gupta, *Lko.*

(In view of prevailing transfer policy, Smt. Abhilasha Gupta will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad as Section Officer).

January 18, 2021

No. 137–From the date of taking over charge, Sri Puspendra Narayan Singh, (Emp. no. 3517), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7th Pay Commission).

No. 138–From the date of taking over charge, Sri Prateek Arora, Lko. (Emp. no. 3697), Additional Private Secretary, High Court, Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Private Secretary Grade-I, in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 5,400 (Level-10 Revised as per 7th Pay Commission).

(All the promotions, notified above, shall be subject to result or Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

February 01, 2021

No. 139–From the date of taking over charge, following 02 Joint Registrars, High Court of Judicature at Allahabad are hereby provisionally promoted as Registrar in the pay scale Level-13-A, subject to clearing of interview as per Rule 20(f) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Joint Registrar
1	2	3
		S./Sri-
1	3187	Mani Shekhar
2	3182	Vinod Kumar-IV

(The provisional promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

No. 140–In view of prevailing transfer policy, following 02 Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, who has been drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Joint Registrar	Remarks
1	2	3	4
		S./Sri-	
1	3300	Ambika Prasad Pal	In the Vacancies to occur due to provisional promotion of Joint Registrars, notified above.
2	3301	Adya Prasad	

No. 141–From the date of taking over charge, following 02 Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad are hereby provisionally promoted as Joint Registrar in the pay scale Level-13, subject to clearing of training and interview as per Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Deputy Registrar
1	2	3
		S./Sri-
1	3309	Ram Khelawan Patel
2	3311	Sanjay Bhattacharya

(The provisional promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Ram Khelawan Patel and Sri Sanjay Bhattacharya will draw salary from Lucknow Bench of this Court as Joint Registrar).

No. 142–In view of prevailing transfer policy, following 02 Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, who has been drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Deputy Registrar	Remarks
1	2	3	4
		S./Sri-	
1	3428	Ravi Prakash Srivastava	In the vacancies to occur due to provisional promotion of Deputy Registrars, notified above.
2	3386	Vijaya Bahadur Yadava	

No. 143–From the date of taking over charge, following 02 Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad are hereby provisionally promoted as Deputy Registrar in the pay scale Level-12, subject to clearing of interview as per Rule 20(c) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Assistant Registrar
1	2	3
		S./Sri-
1	3473	Devesh
2	3474	Arvind Kumar Verma

(The provisional promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Devesh and Sri Arvind Kumar Verma will draw salary from Lucknow Bench of this Court as Deputy Registrar).

No. 144–In view of prevailing transfer policy, following 01 Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, who has been drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Assistant Registrar
1	2	3
1	2913	Sri Pankaj Misra, *Lko.*

No. 145–From the date of taking over charge, following 03 Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow are hereby provisionally promoted as Assistant Registrar in the pay scale Level-11, subject to clearing of interview as per Rule 20(a) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Section Officer
1	2	3
		Sri./Smt.-
1	6086	Bishnu Kumar Ghosh
2	6095	Rajesh Dubey, *Lko.*
3	6092	Vijay Kumar Singh Rathour

(The provisional promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Rajesh Dubey will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad as Assistant Registrar).

No. 146–In view of prevailing transfer policy, following 02 Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow who has been drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Section Officer	Remarks
1	2	3	4
		S./Sri-	
1	7269	Om Harsh Yadav, *Lko.*	In the vacancy to occur due to provisional promotion of Sri Rajesh Dubey, Section Officer, notified above.
2	7271	Mohammad Faisal, *Lko.*	

No. 147–From the date of taking over charge, following 04 Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow are hereby promoted as Section Officer in the pay scale Level-10, with the condition that their promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court of Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. no.	Name of Review Officer
1	2	3
		S./Sri/Ms.-
1	7393	Sanjay Kumar Srivastava
2	7394	Pawan Kumar Singh
3	7395	P. V. Chandrakala
4	7396	Anil Kumar Sharma, *Lko.*

(In view of prevailing transfer policy, Sri Anil Kumar Sharma will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad as Section Officer).

No. 148–From the date of taking over charge, Sri Dileep Kumar Mishra, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. no. 6055), High Court, Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum- Bench Secretary Grade-III, High Court, Allahabad in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7th Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Rajendra Prasad.

No. 149–From the date of taking over charge, Sri Rajesh Kumar Maurya, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. no. 4019), High Court, Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court, Allahabad in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7th Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Rajendra Singh, *Lko.*

No. 150–From the date of taking over charge, Sri Nihal Singh, Bench Secretary Grade-I, (Emp. no. 7141), High Court, Allahabad is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, High Court, Allahabad in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-12 Revised as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy caused due to promotion of Sri Dileep Kumar Mishra.

(The promotions, notified above, shall be subject to result or Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Rajesh Kumar Mishra, Emp. no. 4057, D.R.-cum-B.S. Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow who has been permitted to draw salary from High Court, Allahabad shall draw salary from High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

No. 151–From the date of taking over charge, Sri Indra Sen Sharma, (Emp. no. 1029), Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, High Court, Allahabad is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Private Secretary in the pay scale of Level-13-A as per 7th Pay Commission) in the vacancy occurred due to retirement of Sri Shahid Husain.

No. 152–From the date of taking over charge, Sri Mithilesh Kumar, (Emp. no. 1053), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court, Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum- Private Secretary Grade-IV in the pay scale of Level-13 as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy occurred due to promotion of Sri Indra Sen Sharma.

No. 153–From the date of taking over charge, Sri Adeebuddin, (Emp. no. 1527), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Deputy Registrar-cum- Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Mithilesh Kumar.

No. 154–From the date of taking over charge, Sri Ram Bir Singh, (Emp. no. 3518), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Adeebuddin.

No. 155–From the date of taking over charge, Sri Ujjawal Prajapati, (Emp. no. 3688), Additional Private Secretary Grade, High Court, Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Private Secretary Grade-I, in the pay scale of Level-10 as per 7th Pay Commission) in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Ram Bir Singh.

(All the promotions, notified above, shall be subject to result or Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

By order of
Hon'ble The Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

AMENDMENT (Admin. 'G-I') SECTION

NOTIFICATION

January 13, 2021

No. 07/VIIIc, Allahabad,

Correction Slip No. 266

In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in Allahabad High Court Rules, 1952 Volume I, with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

ALLAHABAD HIGH COURT (AMENDMENT) RULES, 2020

1. Title and commencement :–(1) These Rules may be callled "Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2020".

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2. Definition :–The Rules mean ‘‘Allahabad High Court Rules, 1952’’.

3. Insertion of a new Chapter XL-B.–The following Chapter shall be inserted after Chapter XL-A of the Rules :

CHAPTER XL-B

ALLAHABAD HIGH COURT HINDI TRANSLATION OF JUDGMENTS/ ORDERS (PROCEDURE) RULES, 2019

1. Short Title, Application and Commencement.–(1) These rules may be called as "Allahabad High Court Hindi Translation of Judgments/Orders (Procedure) Rules, 2019".

(2) They shall apply with regard to Hindi Translation of Judgment/Orders of the Court.

(3) They shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

2. Definition.–In these rules unless the context otherwise requires-

(a) "Court" means High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench;

(b) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(c) "Applicant" means person applying for Hindi Translation.

3. Eligibility.–The applicant must be a person who is a party to the case concerned in which he is applying for providing Hindi Translation of Judgment/Order of Court and would include any person, if not party to the case but permitted by the Chief Justice for providing such translation of any Judgment/Order of the Court.

4. Procedure for obtaining Translated Copy.-(1) Application for Hindi translated copy of Judgment/Order shall be made by applicant in proforma 'A' appended to these Rules.

(2) Amount of fee/cost of copy to be charged from the applicant shall be Rs. 2/- per page or as revised from time-to-time by the Court.

(3) After submission of application for translated copy by applicant personally or through Counsel, information shall be provided by the Court to him/her regarding the amount of fee/cost which he/she is required to deposit as fee/expenses of translated copy.

(4) Registry will inform via e-mail/text message on mobile number, as provided in the application by applicant, within three working days, the requisite amount of fee and expenses computed under Sub Rule (3) with details of Bank account in which said amount is to be deposited.

(5) The applicant shall deposit the requisite amount of fee/expenses as communicated under Sub Rule (3) within one week from the date of such information.

(6) Payment of fee/expenses shall be made through deposit (Cash/Demand Draft) in Bank account or by e-transfer in such account. Such amount deposited by applicant is non-refundable and non-adjustable towards subsequent application moved by applicant.

(7) Any person seeking translated copies through e-mail, shall be provided the same on his/her e-mail address.

(8) After deposit of fee/expenses in Bank account, applicant shall furnish transaction details of such deposit to the Section concerned of Court through e-mail on e-mail address generated by Court for this purpose and mentioned in the prescribed proforma 'A'.

(9) A separate account shall be opened with Bank where applicant shall deposit the fee/expenses. Such account shall be operated by such officer or officers as authorised by Chief Justice, from time-to-time.

(10) Amount so collected may be utilized for meeting expenses of translation of Judgments/Orders or for such purpose (s) as the Chief Justice may deem fit and proper.

(11) Translated copies of Judgment/Order running upto fifty pages shall be prepared within fifteen working days from deposition of prescribed fee/expenses in specified Bank account of the Court. Where Judgment/Order consists of more than fifty pages, translated copies shall be prepared within thirty working days. If Judgment/Order is voluminous enough, translation whereof, is not possible within thirty days, in that event concerned Supervising Authority/Officer shall seek extension of time from competent officer or officers as authorized by the Chief Justice.

(12) Top of first page of translated copy of Judgment/Order must contain the information "Only for personal use and not to be used of cited before any Authority or Court of Law".

(13) Where a person, confined in Jail, desires to obtain translated copies, he may apply through Superintendent of concerned Jail and translated copies shall be transmitted to him by post through Superintendent, Jail, free of cost.

(14) After preparation of translated copy of Judgment/Order, information shall be sent to the applicant through e-mail/text message on his/her mobile number, mentioned in the application, informing him/her to collect the translated copy within two weeks from the date of such communication.

(15) If applicant does not collect translated copy within six months from the date of such communication, same shall be weeded out.

5. Residuary Power.-Nothing in these Rules shall affect powers of Chief Justice to make such orders, from time to time, as he may deem fit in regard to all matters incidental or ancillary to these rules, not specifically provided for herein or in regard to matters as have not been sufficiently provided for.

Proforma-'A'

High Court of Judicature at Allahabad

Application for providing Hindi translation of Judgment/Order

1	Name of the Applicant	:
2	Father's Name	:
3	Mobile No. of Applicant	:
4	e-mail address of Applicant	:
5	Nature of Case and Case details as provided in the concerned Judgment/Order	:
6	Whether applicant is petitioner/applicant/appellant/revisionist/ respondent and his/her number in array of parties	:
7	Address of the applicant as mentioned in concerned Case	:
8	Address for Correspondence	:
9	Date of Judgment/Order	:
10	Total Page Number (s) to be translated of Judgment/Order	:

I hereby declare that Hindi translated copy of Judgment/Order which will be provided to me, shall not be cited before any Court of Law and it is in my knowledge that this Hindi translation shall not have any precedent value and I understand that translated copsy of Judgment/Order is exclusively for reading and understanding the original Judgment and not valid document for legal proceedings.

Date :

Signature/Thumb Impression
of Applicant

e-mail address of High Court :

for providing payment details

For Office Use

i. Total page number (s) to be translated of Judgment/Order :

ii. Date of payment of fee deposited for translation and copying charges :

प्रारूप–''क''

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

निर्णय/आदेश का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराने हेतु आवेदन

1–आवेदक का नाम–

2–पिता का नाम–

3–आवेदक का मोबाईल नं0–

4–आवेदक का ई–मेल एड्रेस–

5–वाद की प्रकृति एवं संबंधित निर्णय/
आदेश में दिये गये वाद का विवरण–

6–क्या आवेदक याचिका कर्ता/आवेदक/
अपीलार्थी/पुनरीक्षणार्थी/प्रतिवादी है
एवं पक्षकारों के अनुवाद में उसकी संख्या–

7–सम्बन्धित वाद में यथा उल्लिखित आवेदक
का पता–

8–पत्राचार का पता–

9–निर्णय/आदेश की तिथि–

10–अनुवाद किये जाने वाले निर्णय/आदेश
की कुल पृष्ठ संख्या–

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि निर्णय/आदेश की हिन्दी में अनुवादित प्रति, जो मुझे उपलब्ध कराई जायेगी, किसी भी न्यायालय के समक्ष उद्धृत नहीं की जायेगी और मुझे यह ज्ञात है कि इस हिन्दी अनुवाद का कोई पूर्वनिर्णय मूल्य नहीं होगा और मैं समझता हूं कि निर्णय/आदेश की अनुवादित प्रति, मूल निर्णय को मात्र पढ़ने और समझने के लिये है और विधिक कार्यवाहियों हेतु वैध अभिलेख नहीं है।

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

उच्च न्यायालय की ई–मेल, जिस पर भुगतान विवरण प्रेषित किया जाये–

कार्यालय उपयोग हेतु

(i) अनुवाद किये जाने वाले निर्णय/आदेश
की कुल पृष्ठ संख्या–

(ii) अनुवाद के लिये जमा शुल्क एवं नकल
प्रभार के भुगतान की तिथि–

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

January 19, 2021

No. 1710-LXXI/CPC/e-Court/Alld.–In exercise of the powers conferred by Rule 54 of Part XV of the Uttar Pradesh E-Court Fees Rules, 2016, as notified by the Government of Uttar Pradesh vide its notification no. 179/94/Sta.Ni-2-2016-700(162)/14, the High Court is pleased to notify the payment of E-Court Fee through the E-Court Fee Administrative System with effect from 19th January, 2021, for the use in all such Courts Subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad.

Confidential 'A' Section

Notification

January 30, 2021

No. C-99(i)/Cf. (A)/2021–In exercise of the powers conferred by Rule 27 of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 (as amended up to date) and all other powers enabling in this behalf, the Hon'ble Court is pleased to grant Selection Grade Pay Scale of Rs. 57,700-1,230-58,930-1,380-67,210-1,640-70,290 to Shri Avinash Chandra Tripathi, Presiding Officer, Motor Accident Claim Tribunal, Kushi Nagar with effect from the date mentioned against his name in Column No. 3 against the vacancy mentioned in Column No. 4, subject to any writ petition/litigation pending in the Hon'ble Apex Court/ Hon'ble High Court in this regard and also subject to final determination of seniority of the officers, in case not finalized :

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Vacancy	Vacancy Caused by
1	Sri Avinash Chandra Tripathi 2-7-62	01-03-16	Due to creation of Supernumerary post in Selection Grade Pay Scale for the period from 01-03-2016 to 08-01-2019 vide G.O./O.M. No. 813/II-4-2020-388/2020 dated 28-01-2021 and thereafter vacancy dated 09-01-2019 in Selection Grade Pay Scale caused due to appointment of Sri Pradeep Kumar Gupta in Super Time Pay Scale on 09-01-2019.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

आगरा के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

18 जनवरी, 2021 ई0

सं0 234/प-डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में

निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम 6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थपना हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरण करता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा / प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	किरावली	किरावली	गोबरा	169 मि0	5.3030 में से 1.1520	श्रेणी-6-4 ऊसऱ	वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थपना हेतु

सं0 235 / प-120 / डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 / 740 / एक-1-2016-20 (5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 5 / 2018 / 1934 / एक-1-2018-रा0-1, दिनांक 04 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम 6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरण करता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा / प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	स्वारा	646 मि0	42.553 में से 0.00146	श्रेणी-6 (4) बेहड़	पावर ग्रिड कारपोरेशन हेतु

30 जनवरी, 2021 ई0

सं0 265 / प-डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 / 740 / एक-1-2016-20 (5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में

निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम 6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार हौम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरण करता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा / प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	खेरागढ़	खेरागढ़	चीत	865	हेक्टेयर 0.0608 में से 0.0258	नवीन परती	होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु

सं0 266 / प-डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 / 740 / एक-1-2016-20 (5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम 6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार हौम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरण करता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा / प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	खेरागढ़	खेरागढ़	अयेला	1019 मि0	हेक्टेयर 0.5170 में से 0.0500	ऊसर	होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु

01 फरवरी, 2021 ई0

सं0 269 / प-डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 / 740 / एक-1-2016-20 (5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में

निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम 6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरण करता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा / प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	बाह	बाह	कुकथरी	967	2.000	श्रेणी-5 (3) (ङ) बंजर	वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु

04 फरवरी, 2021 ई0

सं0 283 / प-डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 / 740 / एक-1-2016-20 (5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम 6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार राजकीय हौम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरण करता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा / प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	एत्मादपुर	एत्मादपुर	गढ़ी बच्ची	46	0.0300	नवीन परती	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु

प्रभु एन0 सिंह,
जिलाधिकारी,
आगरा।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी, की आज्ञा

06 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1587 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 68/3-2 (जी)-1976-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम नहरा में बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण /प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	कोल	कोल	नहरा	102-मि0	2.814	श्रेणी 6-4 ऊसर श्रेणी 5-3 ङ बंजर	बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु। पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।
					239-मि0	0.704		
					240	0.080		
					योग . .	3.598		

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

05 फरवरी, 2021 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7693/वाणिज्य कर-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री आशीष चौधरी पुत्र श्री मइयादीन चौधरी, निवासी 210, वी0आई0पी0 रोड सिविल लाइन नासिरपीर, फतेहपुर उ0प्र0 212601 (अनुक्रमॉक 608844) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 +ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री आशीष चौधरी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री आशीष चौधरी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री आशीष चौधरी की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री आशीष चौधरी को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—श्री आशीष चौधरी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर कर, गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री आशीष चौधरी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7694/वाणिज्य कर-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रशान्त सिंह पुत्र श्री श्रीनारायन सिंह, निवासी 24, वात्सल्य खण्ड गोमती आवास सोसाइटी, गोमतीनगर निकट मल्हौर रेलवे स्टेशन लखनऊ उ0प्र0 226028 (अनुक्रमॉक 238173) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रू0 9,300-34,800.00 +ग्रेड पे रू0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—श्री प्रशान्त सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री प्रशान्त सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री प्रशान्त सिंह की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री प्रशान्त सिंह को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—श्री प्रशान्त सिंह को एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर कर, गौतमबुद्धनगर जोन नोयडा के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री प्रशान्त सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अमृता सोनी,
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती

16 जनवरी, 2021 ई0

सं0 2354/आटोरिक्शा/पंजीयन निरस्त/20—वाहन UP 51T-1867 प्रकार आटोरिक्शा चेचिस संख्या 22885 इंजन नम्बर R8K0584990 मॉडल 2008 वाहन माह दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री गरीबुल्लाह पुत्र गोली, निवासी पैड़ा खरहरा, पोस्ट मझौवामीर, थाना वाल्टरगंज जिला बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन दिनांक 30 सितम्बर, 2014 से असंचालन की अवस्था में खड़ी थी, जिसके कारण दिनांक 10 अक्टूबर, 2020 को कबाड़ को बेच दिया है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 15 जनवरी, 2021 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0 प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 22 (अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरुण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP 51T-1867 प्रकार आटोरिक्शा का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

एतद्र्थ पंजीयन निरस्तीकरण तिथि दिनांक 18 अक्ऊबर, 2020 के पश्चात् यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/संचालन भविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु दायी होंगे।

सं0 2353/मैजिक/पंजीयन निरस्त/20—वाहन UP 51T-6360 प्रकार मैजिक चेचिस संख्या MAT491101BJK07273 इंजन नम्बर A1K0556849 मॉडल 2010 वाहन माह दिनांक 24 जनवरी, 2013 को चोरी हो जाने के कारण अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री आशीष मिश्रा, पुत्र श्री ध्रुपचन्द मिश्रा, निवासी कोयलसा, सल्टौआ गोपालपुर, थाना वाल्टरगंज, जिला बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन दिनांक 24 जनवरी, 2013 को चोरी हो गई, जिसके कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 15 जनवरी, 2021 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0 प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 22 (अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 24 जनवरी, 2013 को चोरी हो जाने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरुण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP 51T-6360 प्रकार मैजिक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 24 जनवरी, 2013 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय पंजीकृत स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर लिया जा रहा है। यदि प्रस्तुत प्रपत्र कूटरचित अथवा झूठ पाये जाते हैं तो उपरोक्त निर्णय स्वतः शून्य माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पंजीकृत वाहन स्वामी की होगी।

एतद्र्थ पंजीयन निरस्तीकरण तिथि दिनांक 24 जनवरी, 2013 के पश्चात् यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/संचालन भविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि दिनांक 24 जनवरी, 2013 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु दायी होंगे।

सं0 2352/ट्रक/पंजीयन निरस्त/20–वाहन MP09K-9016 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 360324KVQ724164 इंजन नम्बर 697D23KVQ768762 मॉडल 1994 वाहन माह दिनांक 05 सितम्बर, 2011 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री अश्विनी कुमार अग्रहरि पुत्र श्री विनीत कुमार अग्रहरि, निवासी मरवटिया, पो0 व थाना पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन दिनांक 05 सितम्बर, 2011 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 15 जनवरी, 2021 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0 प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 22 (अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 05 सितम्बर, 2011 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरुण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या MP09K-9016 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 05 सितम्बर, 2011 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

एतद्र्थ पंजीयन निरस्तीकरण तिथि दिनांक 05 सितम्बर, 2011 के पश्चात् यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/संचालन भविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि दिनांक 05 सितम्बर, 2011 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु दायी होंगे।

सं0 2351/मैजिक/पंजीयन निरस्त/20–वाहन UP51T-2342 प्रकार मैजिक चेचिस संख्या MAT4451119VE08378 इंजन नम्बर 2751D105EQZS46045 मॉडल 2009 वाहन माह दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री संजय कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद चौधरी, निवासी पोखरभिटवा, पो0 पुरैना पाण्डेय, थाना वाल्टरगंज, जिला बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 15 जनवरी, 2021 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0 प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 22 (अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरुण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP 51T-2342 प्रकार मैजिक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय पंजीकृत स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर लिया जा रहा है। यदि प्रस्तुत प्रपत्र कूटरचित अथवा झूठ पाये जाते हैं तो उपरोक्त निर्णय स्वतः शून्य माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पंजीकृत वाहन स्वामी की होगी।

एतद्र्थ पंजीयन निरस्तीकरण तिथि दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 के पश्चात् यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/संचालन भविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु दायी होंगे।

अरूण प्रकाश चौबे,
पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग,
बस्ती।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

19 जनवरी, 2021 ई0

सं0 53/ई0-427/1996(II)—उत्तर प्रदेश राजस्व चकबन्दी सेवानियमावली, 1992 के नियम 21 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित परिवीक्षाधीन सहायक चकबन्दी अधिकारियों को स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 05 में अंकित तिथि से सहायक चकबन्दी अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है। किसी सहायक चकबन्दी अधिकारी के द्वारा घृत पर अस्थायी होने या किसी सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध स्थायीकरण में बाधक कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उसके सम्बन्ध में यह आदेश शून्य माना जायेगा। इन सहायक चकबन्दी अधिकारियों की अन्य सहायक चकबन्दी अधिकारियों के साथ इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी :

क्र0 सं0	स0च0अ0 का नाम	कार्यरत जनपद	विभाग में स0च0अ0 के पद पर नियुक्ति की तिथि	विभाग में परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री अवधेश कुमार	रायबरेली	24.05.2007	23.05.2009
2	श्री अरविन्द कुमार	खीरी	03.01.2001	02.01.2003
3	श्रीमती प्रेरणा यादव	औरैया	02.06.2011	30.11.2019
4	श्रीमती अर्चना उपाध्याय	कानपुर देहात	15.12.2004	30.11.2019
5	श्री अशोक कुमार सिंह	बाराबंकी	08.12.2005	30.11.2019

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

12 जनवरी, 2021 ई0

सं0 323/जी0-179ए/91—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील घोरावल, जनपद सोनभद्र के ग्राम मझिली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

15 जनवरी, 2021 ई0

सं0 354/जी0-177ए/66-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम दरबन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 355/जी0-170/65/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सवायजपुर, जनपद हरदोई के ग्राम धरमपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 356/जी0-158-ए/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
कन्नौज	छिबरामऊ	1	भगवानपुर
		2	सुखरामपुर

सं0 368/जी0-266/56-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद गोरखपुर के ग्राम हरैया तप्पा रेट में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 369/जी0-181/66/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
गोरखपुर	खजनी	1	नरायनपुर भट्ट तप्पा परसी
		2	बेला खुर्द तप्पा शाहपुर
		3	साऊडीह बुजुर्ग तप्पा उसरी

सं0 370/जी0-155/69—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सिसवा उर्फ शिवभारी तप्पा ढेबरूआ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 371/जी0-250/64(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर के ग्राम ताल्हापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 372/जी0-175/59-2019—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के

दिनांक से तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम दिगितपुरवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 373/जी0-164/59-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के ग्राम हकीमपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 374/जी0-367/60-86(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम दिलावरपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

18 जनवरी, 2021 ई0

सं0 399/जी0-237-B/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अमरिया, जनपद पीलीभीत के ग्राम बरातबोझ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 400/जी0-366/60—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के ग्राम शाहपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 401/जी0-176-B/66/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौगढ़, जनपद चन्दौली के ग्राम अमदहाचरनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 402/जी0-361/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
जौनपुर	सदर	1	चक सलखापुर
		2	सलखापुर

सं0 403/जी0-161/59-2002—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील घनघटा, जनपद संतकबीर नगर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
संतकबीर नगर	घनघटा	1	अलाईचक तप्पा कोचरी
		2	दीपपुर तप्पा महथी

12 जनवरी, 2021 ई0

सं0 274/जी0-38/54-80—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के ग्राम अन्तपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 273/जी0-123/58-88—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिजनौर, जनपद बिजनौर के ग्राम फरीदपुर मीरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 275/जी0-160/67—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हण्डिया, जनपद प्रयागराज के ग्राम मोहम्मदाबाद में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 321/जी0-358/60—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी के ग्राम इब्राहिमाबाद में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 268/जी0-159/61/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस के ग्राम गोपालपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 269/जी0-358/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी के ग्राम सतरिख में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

13 जनवरी, 2021 ई0

सं0 342/जी0-363/2018-19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर के ग्राम सहदेउरा मु0 पाली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 343/जी0-166/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम बनिका में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

12 जनवरी, 2021 ई0

सं0 272/जी0-177/66/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भीटी, जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम अहिराडीह में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—48 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 फरवरी, 2021 ई० (फाल्गुन 8, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, कर्नलगंज-गोण्डा

27 जनवरी, 2021 ई0

सं0 912/न0पा0परि0कर्न0/2020-21–नगर पालिका परिषद् कर्नलगंज, गोण्डा में परिवार रजिस्टर अभिलेख उपलब्ध न होने के क्रम में बोर्ड ने अपने प्रस्ताव संख्या-4/7 दिनांक 20 अगस्त, 2019 से नागरिकों के सुविधा एवं निकाय के आर्थिक स्थित में सुधार हेतु परिवार रजिस्टर बनाये जाने व उसकी प्रतिलिपि निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

सम्बन्धित परिवार रजिस्टर लागू, करने हेतु उपविधि तैयार कर हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित कराया गया था एवं प्रकाशन के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात् सरकारी गजट में प्रकाशन कराकर स्वीकृति की तिथि से परिवार रजिस्टर नगर क्षेत्र में लागू माना जायेगा।

उप नियमावली

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम,1916 की धारा, 198 जो नगर पालिका परिषद पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, कर्नलगंज,गोण्डा की सीमा के अन्दर परिवार रजिस्टर को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु निम्न उपनियम बनाये गये हैं, जो स्वीकृति की तिथि से लागू, माना जायेगा।

परिभाषा–विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर–

(अ) यह नियमावली नगर पालिका परिषद, कर्नलगंज, गोण्डा परिवार रजिस्टर नियन्त्रण उप नियमावली कहलायगी।

(ब) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद कर्नलगंज, गोण्डा के अधिशासी अधिकारी से है।

(स) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद कर्नलगंज, गोण्डा के अध्यक्ष से है।

(द) परिवार रजिस्टर अधिकारी पालिका परिषद कर्नलगंज, गोण्डा के अधिशासी अधिकारी होगे।

उप नियम

1–यह नियम नगर पालिका परिषद कर्नलगंज, गोण्डा के सीमा के अन्तर्गत लागू होगा।

2–यह उपनियम नगर पालिका परिषद कर्नलगंज, गोण्डा के गृहकर मकान नम्बर के अनुसार परिवार रजिस्टर तैयार होगा।

3–यह उपनियम परिवार रजिस्टर एवं अन्य शुल्क सम्बन्धी उपनियम कहलायेगी।

4–यह उपनियम बोर्ड की स्वीकृति की तिथि से लागू माना जायेगा।

5–प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा कि अधिकृत नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के कर्मचारी को शुल्क अदा करने के उपरान्त ही परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।

6–केन्द्र राज्य सरकार या अन्य विधि निहित संस्था के द्वारा उल्लिखित नियन्त्रण परिवार रजिस्टर से भिन्न होगा।

7–अधिशासी अधिकारी द्वारा सभी परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि निर्गत किया जायेगा।

8–इस उपनियम/उपविधि किसी भी प्राविधान के बारे में अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी यदि संतुष्ट है कि उपविधि किसी प्राविधान का दुरुपयोग पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नही है तो उस प्राविधान को निलंबित करने छूट देने अथवा संशोधन करने का अधिकार पालिका बोर्ड का होगा।

9–परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि हेतु नगर पालिका परिषद बोर्ड द्वारा अधिकृत शुल्क देय होगा।

10– परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि हेतु मु0 रु0 100.00 (एक सौ रुपया) देय होगा।

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 299/1 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके यह निर्देश दिया जाता है कि इस नियमावली में दिये गये किन्हीं उपविधियों की अवहेलना करने पर निर्धारित शुल्क के दो गुने से 10 गुने तक जुर्माना किया जा सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी करने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा। जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में या सिद्ध हो जाये कि उसने अपराधी अपराध करता है रु0 25.00 तक हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
कर्नलगंज, गोण्डा।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, कर्नलगंज-गोण्डा

27 जनवरी, 2021 ई0

सं0 913/न0पा0परि0कर्न0/2020-21–पत्र संख्या 138/न0पा0परि0कर्न0/2019-20–दिनांक 22 मई, 2019 द्वारा नगर पालिका परिषद, कर्नलगंज-गोण्डा, में नगर पालिका अधिनियम, 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन उपविधि बनाने के लिये सुझाव व आपत्ति हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र ''हिन्दुस्तान'' में प्रकाशन तिथि 24 मई, 2019 से 30 दिन के भीतर आमन्त्रित की गई थी। किन्तु निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत कोई आपत्ति न प्राप्त होने की दशा में बोर्ड मीटिंग दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को स्वीकृत हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, बोर्ड द्वारा उक्त उपविधि में आंशिक संशोधन उपरान्त सर्वसम्मति से बोर्ड प्रस्ताव संख्या 3/2 द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित करते हुए अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष महोदय को उपविधि, 2019 लागू किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

सम्बन्धित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के लागू करने हेतु बोर्ड द्वारा किये गये आंशिक संशोधन सम्मिलित कर उपविधि हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र ''हिन्दुस्तान'' में दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित कराया गया था। एवम् प्रकाशन के उपरान्त 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से सुझाव एवम् आपत्तियां आमत्रित की गई थी। कोई आपत्ति/सुझाव अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित अवधि तक नही प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात् सरकारी गजट में प्रकाशन कराकर स्वीकृति तिथि से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 लागू मानी जायेगी।

संक्षिप्त नाम व विस्तार तथा आरम्भ

(अ) यह नियमावली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2020 कहलायेगी।

(ब) यह उपविधि नगर पालिका परिषद, कर्नलगंज-गोण्डा, सीमा के अन्दर लागू होगी।

(1) अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओं के कर्तव्य प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता–

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट के पृथक्कृत और पृथक शाखाओं अर्थात् जैव निम्नीकरण योग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को तीन अलग-अलग डिब्बों में भण्डारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्देश व अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्रधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को ही सौंपेगा।

(ख) प्रत्येक किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रान्ड स्वामियों द्वारा उपलब्ध या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भंडारित करेगा जब कभी वह उत्पन्न होता हो और उसे सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुसार निपटान करेगा।

(घ) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय -समय पर स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

2–कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थान नाली या जलाशय में ना फेंकेगा ना जलायेगा, और ना गाड़ेगा।

3–कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्यदिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा। ऐसा व्यक्ति, या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वाले या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा।

4–प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रोज्य (डिस्पोजल) प्लेटों, कपों, डिब्बे, रैम्प से नारियल के छिलके, शेष बचे भोजन, सब्जियों फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा। और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भण्डारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा।

5–इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से छः माह के अन्दर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक करने पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में सग्रहण करने में सहायता और पुर्नचक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्करों को सौपना सुनिश्चित करेंगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को जहां तक सम्भव होगा, परिसर के अन्दर संसाधित उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमिथिलेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

6–नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से छः माह के अन्दर पांच हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय व संसथान प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथाविहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट के स्रोत पर ही पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौपना सुनिश्चित करेंगें। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके बायोमिथिनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

7–इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से छः माह के अन्दर सभी होटल और रेस्टोरेन्ट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथाविहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट के स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना। तथा पुनर्चचक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव वक्रमव्रणीय अपशिष्ट को जहां तक

सम्भव होगा, परिसर के अन्दर ही संसाधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमिथिनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

8—नगर पालिका सीमा के अन्दर खुले में शौंच करने वाले व्यक्तियों पर रु0 500.00 एवं खुले स्थान पर पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर रु0 100.00 जुर्माना वसूल किया जायेगा, जिसकी अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी।

9—यह कि मा0 उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 जनवरी, 2016 पर नगर विकास अनुभाग-6 के आदेश संख्या 3595/नौ-5-2016-29 रिट 2014, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण समाग्री अथवा विध्वंश अवशेष रखने पर रु0 50,000.00 का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

1	आर0ओ0 मिनरल वाटर प्लांट	रु0 10,000.00 प्रतिवर्ष
2	व्यवसायिक भवन प्रत्येक दुकान जलपान रेस्टोरेन्ट	रु0 100.00 माह
3	व्यवसायिक भवन प्रत्येक काम्प्लेक्स, होटल	रु0 500.00 माह
4	व्यवसायिक भवन फैक्ट्री, अर्द्ध सरकारी संस्थान	रु0 500.00 माह
5	व्यवसायिक भवन चिकित्सा क्लीनिक	रु0 100.00 माह
6	व्यवसायिक भवन नर्सिंग होम	रु0 2,500.00 माह
7	वाहन धुलाई करने वाले व्यवसायी	रु0 2,500.00 प्रति वर्ष

10—2— अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष—

1	मछली फुटकर बिक्री	रु0 300.00 प्रति वर्ष
2	मछली थोक बिक्री	रु0 500.00 प्रति वर्ष
3	फल फुटकर बिक्री	रु0 300.00 प्रति वर्ष
4	फल थोक बिक्री	रु0 1,000.00 प्रति वर्ष
5	सब्जी फुटकर बिक्री	रु0 300.00 प्रति वर्ष
6	सब्जी थोक बिक्री	रु0 1,000.00 प्रति वर्ष
7	अण्डा फुटकर बिक्री	रु0 300.00 प्रति वर्ष
8	अण्डा थोक बिक्री	रु0 1,000.00 प्रति वर्ष
9	मुर्गा, बकरा, भैस, भैसा मांस बिक्री	रु0 1,000.00 प्रति वर्ष

दण्ड

उक्त धाराओं का उल्लंघन करना अपराध माना जायेगा। उल्लंघन की दशा में रु0 50,000.00 जुर्माना से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें अपराधी द्वारा अपराध किया जाना सिद्ध है, रु0 50.00 तक होगा। जुर्माना लगाये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, कर्नलगंज-गोण्डा में निहित होगा तथा वसूली नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय छः में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, कर्नलगंज, गोण्डा।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद-सीतापुर

17 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1136/स्व-कर-गजट/न0पा0प0 सीतापुर/2020-21—नगर पालिका परिषद् सीतापुर के स्व-कर नियमावली का सरकारी गजट उ0प्र0 प्रयागराज, 26 जनवरी, 2019 ई0 (माघ 6, 1940 शक संवत्) को प्रकाशन किया गया था, जिसमें सभी वार्डो की दरें समान थी। समान दरों का वार्डवार संशोधन करने हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 11 जून, 2020 के प्रस्ताव संख्या-01 में सर्वसम्मति से वार्डवार दरों की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्रों हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण वायस ऑफ लखनऊ में क्रमशः दिनांक 16 जुलाई, 04 सितम्बर, 05 सितम्बर, 2020 को किया गया जिसमें आपत्तियां प्राप्त हुई, प्राप्त आपत्तियों पर विचार करते हुये मा0 बोर्ड ने दिनांक 13 फरवरी, 2021 के प्रस्ताव संख्या-01 द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व प्रकाशित दरों में संशोधन करते हुये निम्नलिखित सूची को स्वीकृत किया।

संशोधित दरें

वर्तमान निर्धारित दर

मा0 बोर्ड बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2021 में पारित बोर्ड प्रस्ताव संख्या01 के अनुपालन में संशोधित स्वकर-कर/रेट वार्ड वार रेट लिस्ट 2020-2021 नगर पालिका परिषद् सीतापुर

क्र0 सं0	वार्ड का नाम	30 फुट से अधिक मार्ग पर			15 से 30 फुट तक चौड़े मार्ग पर			30 फुट से कम चौड़े मार्ग पर स्थित			भूमि के सम्बन्ध में स्थित		
		आर0सी0 सी0 छत/ R.B. सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0 सी0सी0 छत/ R.B. सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0सी0 सी0छत/ R.B. सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	30 फुट से अधिक मार्ग पर	15 से 30 फुट तक चौड़े मार्ग पर	15 फुट से कम चौड़े मार्ग पर स्थित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	लालकुर्ती	1.20	0.72	0.48	0.72	0.44	0.29	0.44	0.27	0.18	0.3	0.2	0.10
2	स्माईलपुर	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
3	लोनियन पुरवा पूर्वी	1.50	0.90	0.60	0.90	0.54	0.36	0.54	0.33	0.22	0.25	0.20	0.10
4	बट्सगंज	1.90	1.14	0.76	1.14	0.69	0.46	0.69	0.42	0.28	0.35	0.25	0.15
5	हुसैनगंज	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
6	लोहारबाग	1.04	0.50	1.00	1.50	0.90	0.60	0.90	0.54	0.36	0.40	0.30	0.20
7	दुर्गापुरवा	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
8	परेड	1.90	1.14	0.76	1.14	0.69	0.46	0.69	0.42	0.28	0.35	0.25	0.15
9	सदर बजार	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
10	नई बस्ती	1.40	0.84	0.56	0.84	0.51	0.34	0.51	0.31	0.21	0.25	0.20	0.10
11	पंचवटी उत्तरी	1.40	0.84	0.56	0.84	0.51	0.34	0.51	0.31	0.21	0.25	0.20	0.10
12	लोनियन पुरवा पश्चिमी	1.20	0.72	0.48	0.72	0.44	0.29	0.44	0.27	0.18	0.30	0.20	0.10
13	ऊंचाटीला	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
14	कन्टोमेंट	1.40	0.84	0.56	0.84	0.51	0.34	0.51	0.31	0.21	0.25	0.20	0.10
15	फत्तनसरांय	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
16	तरीनपुर	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
17	पंचवटी मूल	1.40	0.84	0.56	0.84	0.51	0.34	0.51	0.31	0.21	0.25	0.20	0.10
18	प्रेम नगर प्र0व द्वीव	1.90	1.14	0.76	0.14	0.69	0.46	0.69	0.42	0.28	0.35	0.25	0.15
19	मीदर्ही टोला	1.00	0.60	0.40	0.60	0.90	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
20	सिविल लाइन	2.04	1.50	1.00	1.50	0.36	0.60	0.90	0.54	0.36	0.40	0.30	0.20
21	हेम पुरवा	1.00	0.60	0.40	0.60	0.44	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
22	गदियाना	1.20	0.72	0.48	0.72	0.90	0.29	0.44	0.27	0.18	0.30	0.20	0.10
23	तामसेनगंज	1.04	1.50	1.00	1.50	0.47	0.60	0.90	0.54	0.36	0.40	0.30	0.20
24	आलमनगर	1.30	0.78	0.52	0.78	0.44	0.32	0.47	0.29	0.19	0.30	0.20	0.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	कोट	1.20	0.72	0.48	0.72	0.44	0.29	0.44	0.27	0.18	0.30	0.30	0.10
26	विजय लक्ष्मी नगर	2.04	1.50	1.00	1.50	0.90	0.60	0.90	0.54	0.36	0.40	0.15	0.20
27	चौधरी टोला	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
28	सेखसरांय पूर्वी	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
29	सेखसरांय पश्चिमी	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10
30	कजीयारा	1.00	0.60	0.40	0.60	0.36	0.24	0.36	0.22	0.15	0.20	0.15	0.10

संख्या–01 पूर्व प्रकाशित दरें दिनांक 26 जनवरी, 2019 के भाग संख्या-8, पृष्ठ संख्या 50 के बिन्दु संख्या-10 में वार्षिक किराया मूल्यांकन (ए0आ0वी0) का गृहकर एवं जलकर 15 प्रतिशत के स्थान पर गृहकर 10 प्रतिशत व जलकर 10 प्रतिशत संशोधित किया जाय (पूर्व प्रकाशित गजट दिनांक 26 जनवरी, 2019 की प्रति संलग्न)।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, सीतापुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, खेरागढ़ (आगरा)

16 नवम्बर, 2019 ई0

सं0 311/न0पं0खे0/2019-20–नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए नगर पंचायत खेरागढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार विशेष संकल्प प्रस्ताव के अधीन निम्न प्रकार उपविधि बनाने के लिए उपविधि का प्रकाशन सभी व्यक्तियों से दावे, आपत्ति सुझाव प्राप्त करने हेतु दैनिक समाचार-पत्र दाता-संदेश व दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान, आगरा में दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को कराया गया था। निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर प्रकाशित विज्ञप्ति पर कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। अतः नगर पंचायत खेरागढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बनायी गयी उपविधि को अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जाता है। जिस पर कोई भी दावा एवं आपत्ति नहीं सुनी जायेगी। जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अधीन नगर पंचायत खेरागढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपविधि बनाती है।

उपविधि

संक्षिप्त नाम विस्तार व प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, खेरागढ़ के ठोस प्रबन्धन उपविधि 2019 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत खेरागढ़ के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशील होगी।

(घ) इस उपविधि में अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/प्रभारी सफाई निरीक्षक से है।

(ङ) ''अधिनियम'' का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

प्राधिकारी का अर्थ–नगर पंचायत खेरागढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।

प्राधिकारी संस्था–नगर पंचायत खेरागढ़ आगरा है।

1–समस्त निवासियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अपने स्थल पर उत्सर्जित/उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को उद्गम स्थल पर तीन पृथक हिस्सों में गीला, सूखा एवं परिसंकटमय अपशिष्टों में क्रमशः हरा, नीला व वायों मेडिकल वेस्ट लाल, सफेद, ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही नगर पंचायत खेरागढ़ द्वारा निर्धारित कूड़ा चुनने वाले अथवा डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहकर्ता को निर्धारित मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा, ताकि आम सड़कों मार्गों पर नगर पंचायत द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी कुड़ा करकट नहीं फैलायें।

2–कोई व्यक्ति व संस्था निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने परिसर में भंडारित करेगा एवं Construction and Demolition Waste Rule, 2016 के अनुसार निपटान होगा।

3–नगर में स्थित सभी कोआपरेटिव सोसाइटीज, एसोसियेशन आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी, कि वे आवश्यक घनत्व में उपयुक्त स्थान पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कंटेनर (नीला व हरा रंग के) स्थापित करेगा, जिनमें दैनिक उत्सर्जित कचरे का पृथक-पृथक भंडारण हो सके, जिसका निस्तारण नगर पंचायत द्वारा निर्धारित देय यूजर चार्ज देकर करायेगा।

4–कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपशिष्ट को गली/मार्गों, खुले सार्वजनिक स्थानों नाली/नाला या जलाशयों में न फेकेगा, न जलायेगा और न ही गाड़ेगा। उपविधि का पालन न करने की दशा में रु0 5,000.00 का जुर्माना वसूल किया जायेगा अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

5–कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपने आवास के समीप खाली स्थानों पर कूड़ा नहीं डालेगा न डालने देगा कूड़े के समीप निवासी को जिम्मेदार समझा जायेगा, जिसके लिए निकाय निर्धारित चालान करने में समर्थ होगा एवं अभियोग दायर किया जा सकेगा।

6–बूचड़ खानों मॉस-मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट को उपयोग में लाया जा सके, ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने प्रबंधन कर नियमानुसार नगर पंचायत को मासिक यूजर चार्ज देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

7–अस्पतालों नर्सिंग होम्स, क्लीनिक, लैबोरेटरी, आदि द्वारा जैव, चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा। अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, क्लीनिक, आदि के प्रबंधन द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नियम-2016 के निर्देशानुसार जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंधन स्वयं सुनिश्चित कराना होगा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्ध नगर पालिका द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज देकर सुनिश्चित कराया जायेगा।

8–कोई भी व्यक्ति/निवासी अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर निकाय द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज देकर निपटान करेगा।

9–कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी निर्माण सामग्री को किसी भी दशा में सार्वजनिक मार्गों व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डालेगा। अनाधिकृत रूप से निजी मलवा/सामग्री डालना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

10– अपशिष्ट कूड़ा करकट, सूखी पत्तियों को जलाया नहीं जायेगा।

11–कोई भी व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन दिवस पूर्व नगर पंचायत को सूचित किये बगैर किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या आयोजक, आयोजन स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक भण्डारण की व्यवस्था करेगा और पृथक अपशिष्ट को नगर पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज जमा कर नियोजित अपशिष्ट संग्रहण अधिकरण को सौंपेगा।

12–मार्ग विक्रेता जिसके अन्तर्गत फेरी वाला, गली की लेन, सार्वजनिक पार्कों, सार्वजनिक स्थानों या प्राइवेट स्थानों पर अस्थाई निर्मित संरचना पट या घूम-घूमकर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु ढक्कन युक्त कूड़ा पात्र रखना होगा।

13–कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा स्थापित अपशिष्ट कूड़ेदान के बाहर नहीं फेकेगा। निर्धारित कूड़ेदान में निर्धारित अपशिष्ट डालेगा।

14–पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर के किसी अन्य स्थान के आस-पास घूमने नहीं दिया जायेगा, इसका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

15–कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान व्यापारिक प्रतिष्ठान से गंदा पानी, कीचड़, नाईट स्वाईल, गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में किसी प्रकार एकत्रित नहीं करेगा, न सार्वजनिक मार्गों एवं नालियों में बहने देगा, जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित न हो, व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना न हो अथवा आवागमन में बाधक न हो अन्यथा उसके विरुद्ध जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

16–कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेसी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक स्थानों इत्यादि पर नहीं डालेगा। नगर पंचायत को निर्धारित यूजर चार्जेज देकर उसका निपटान करायेगा।

17–नगर पंचायत सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों से एक सौ रुपये एवं पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर सौ रुपये जुर्माना वसूला जायेगा, जिसकी अदायगी व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी।

18–यह कि मा0 उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 व नगर विकास अनुभाग 5 के आदेश संख्या 3595/नौ-5-2016-29 रिट/2014, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

19–कोई भी व्यक्ति/निवासी सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व गेटों पर निजी या व्यापारिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर व स्लोगन नहीं लिखायेगा।

घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर कचरा एकत्रित करने हेतु दरें

क्रमांक	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह रुपये/प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
1	50 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के मकान	15.00
2	50 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के मकान	40.00
3	300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के मकान	50.00
4	व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकान, खानपान स्थल (ढाबा/मिठाई/चाय/काफी) की दुकान	200.00
5	गेस्ट हाउस/होटल, रेस्टोरेंट (Unstar)	500.00
6	पथा विक्रेता/मार्ग विक्रेता	30.00
7	छात्रावास	400.00
8	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान,	500.00
9	क्लीनिक, डिसपेंसरी, लेबोरेटरी	1,500.00
10	लघु एवं कुटीर उद्योग (गैर खतरनाक) अपशिष्ट 10 किग्रा प्रतिदिन	500.00
11	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, (गैर खतरनाक) अपशिष्ट	1,000.00
12	शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर तक	2,000.00
13	आवासीय दुकानें (खाद्य पदार्थ एवं बिना खाद्य पदार्थ की बिक्री)	200.00
14	कबाड़ी/रद्दी आदि का संग्रह करने वाले	200.00
15	जूस /गन्ने का जूस विक्रेता	50.00
16	डेरी संचालक/गाय, भैंस पालना	200.00
17	देशी/विदेशी शराब/बीयर की दुकान	500.00
18	खुले में शौच/पेशाब होने पर	100.00
19	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य	200.00

नगर पंचायत की शक्ति–

1–नगर पंचायत क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिषेध होगा, यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्कों, पानी के स्रोत इत्यादि पर गंदगी कूड़ा-करकट फैलाते व रखते पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी, जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी निम्न अनुसूची-अ में घोषित/समय पर निकाय द्वारा निर्धारित जुर्माना (केरिंग चार्जेज) ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने में सक्षम होना।

2–नियम को लागू कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसे सख्ती से लागू कराया जायेगा। लागू कराने में असक्षम/लापरवाही/असमर्थ अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उल्लेखित नियमों के अधीन सख्त कार्यवाही का अधिकार प्राधिकारी को होगा।

''अनुसूची-अ''

उपविधियों के उल्लंघन में किये कृत्यों के लिए निर्धारित कैरिंग चार्ज

क्रमांक	कृत्य	कैरिंग चार्ज रुपये/प्रतिदिन
1	2	3
		रु0
1	रिहायशी भवनों के निवासी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने पर	100.00
2	दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा डालने पर	100.00

1	2	3
		रु0
3	होटल/रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा डालने पर	5,000.00
4	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने पर	10,000.00
5	व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकान, खानपान स्थल (ढाबा/मिठाई/चाय/कॉफी) की दुकान पर	100.00
6	सार्वजनिक स्थान पर पेशाब/शौच करने पर	100.00
7	सार्वजनिक स्थान पर गोबर डालने पर	500.00
8	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा, निर्माण सामग्री ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर, सरकारी भूमि पर डालने पर	1,000.00
9	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00
10	सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर लगाने व स्लोगन लिखने पर मौके पर चिपकाने/लिखने वाले व्यक्ति से/उस संस्थान के मालिक से	2,000.00
11	बिना सक्षम स्वीकृति के रोड कटिंग पर	2,000.00
12	अपने मकान का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर	2,000.00
13	क्रमांकः 02 से 05 तक वर्णित व्यवसाइयों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र निर्धारित क्षमता का नहीं रखने पर	2,000.00
14	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसाइयों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	1,000.00
15	अपने मकान/भवन का सीवरेज सैप्टिक टैंक के स्थान पर सीधे नाली में बहाने पर	5,000.00
16	मीट की दुकान के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियॉ, मलवॉ मलीदा, खून मूर्गे का पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि आम रास्ते में डालकर गन्दगी करने पर	5,000.00
17	मकान के सामने आम सड़क पर पालतू जानवर (गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, सुअर आदि) बांधकर गन्दगी फैलाने पर	5,000.00
18	शादी /विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर	5,000.00
19	आम रास्ते पर खुले में टैण्ट लगाकर खुलेआम मॉस, मछली, पकाने व अंश सड़क पर डालने पर	5,000.00
20	सार्वजनिक स्थान जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां, फल, जूस बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालकर गन्दगी फैलाने पर	100.00
21	हेयर कंटिंग सैलून द्वारा सड़क पर गन्दगी, बाल आदि डालकर गन्दगी फैलाने पर	100.00
22	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता सड़क अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	5,000.00
23	आम रास्ता सड़क, फुटपाथ अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00
24	क्लीनिक, डिसपेंसरी, लेबोरेटरी आदि द्वारा आम रास्ता सड़क पर गन्दगी फैलाने पर	2,000.00
25	सड़क किनारे वाशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने पर	200.00
		एवं पानी का कनैक्शन काटने का चार्ज

1	2	3
		रु0
26	मानक रहित पॉलीथिन में कूड़ा रखने पर	100.00
27	सड़क पटरी/सार्वजनिक भूमि पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने पर	500.00
28	लोहा/प्लास्टिक/रद्दी/कबाड़ का कार्य करने वाले	200.00
29	सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जलाये जाने पर	5,000.00

नोट–उपविधि में उल्लिखित उपरोक्त कृत्य निरन्तर जारी रहने पर अभियोग भी चलाया जा सकेगा।

शान्ति देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत खेरागढ़,
आगरा।

कार्यालय, नगर पंचायत, महरौनी (ललितपुर)

16 नवम्बर, 2018 ई0

सं0 3198/न0पं0महरौनी (2018-19)–नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाये रखने के लिये नगर पंचायत महरौनी (ललितपुर) द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निम्न प्रकार उपविधि बनाने के लिये जन सामान्य से सुझाव व आपत्ति आमंत्रित किये जाते है। जो भी महानुभाव अपने सुझाव व आपत्ति देना चाहते हों वे इस अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

1–संक्षिप्त नाम व विस्तार तथा प्रारम्भ–

(अ) यह नियमावली ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि, 2017 कहलायेगी।

(ब) यह उपविधि नगर पंचायत महरौनी सीमा के अन्दर लागू होगी।

(स) यह गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

2–अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्तव्य–

(क) अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट के पृथक्कृत और पृथक शाखाओं अर्थात जैव निम्नीकरण योग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग-अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों संग्रहकर्ता को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपर, पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार किया जायेगा।

3–कोई भी अपशिष्ट जनित किसी भी व्यक्ति द्वारा सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नालों या जलाशयों में नहीं फेंकेगा, न ही जलायेगा और न ही गाड़ेगा।

4–यदि किसी व्यक्ति द्वारा गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर कोई आयोजन या समारोह आयोजित किया जाता है तो वह व्यक्ति या आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट, अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा।

5–प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्य कलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य प्रयोज्य दोना, कुल्लड़, डिब्बा, रैपर, नारियल के छिलके, बचा भोजना, फल, सब्जी अथवा अन्य सामग्री जो सम्बन्धित विक्रेता के यहां से प्रतिदिन निकलती हो को उपयुक्त पात्र में रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पंचायत महरौनी द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट भण्डारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा।

6–इस गजट के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर सभी आवास कल्याण, बाजार संघ, आर0डब्ल्यू0ए0, होटल रेस्टोरेंट आदि स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी से इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुर्नचक्रणीय सामग्री को

अपशिष्ट उठाने वाले अथवा प्राधिकृत प्रर्नचक्र को सौंपेगा। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का (यदि संभव हो तो) परिसर के अन्दर कम्पोस्ट करके अथवा बायोमेथानेशन के जरिये निस्तारण किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पंचायत महरौनी द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

7—नगर पंचायत महरौनी के अन्दर खुले में शौंच करने वाले व्यक्तियों से पांच सौ रुपये एवं पेशाब करने वाले व्यक्तियों से सौ रुपये जुर्माना वसूला जायेगा जिसकी अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी।

8—नगर विकास अनुभाग-5 आदेश सं0-3595/ना-5-2016-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर 50,000.00 रुपये का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

9—सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से निम्नानुसार यूजर वसूल किया जायेगा।

(1) आवासीय भवन (प्रति परिवार)	रु0 40.00 प्रति माह
(2) व्यवसायिक भवन प्रत्येक दुकान जल-पान रेस्टोरेन्ट	रु0 250.00 प्रति माह
(3) व्यवसायिक भवन प्रत्येक काम्प्लेक्स, होटल	रु0 1,000.00 प्रति माह
(4) व्यवसायिक भवन फैक्ट्री, अर्द्ध सरकारी संस्थान	रु0 500.00 प्रति माह
(5) व्यवसायिक भवन चिकित्सा क्लीनिक/प्राईवेट नर्सिंगहोम	रु0 500.00 प्रति माह
(6) विवाह घर या समारोह पर	रु0 2,000.00 प्रति समारोह

10—शमन शुल्क—

अपराधों का समन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट करते हैं—

क्रम सं0 (क)	प्रतिषेध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रुपयों में
1	100 ग्राम तक	रु0 1,000.00
2	101 ग्राम-500 ग्राम	रु0 2,000.00
3	501 ग्राम-1 किलोग्राम	रु0 5,000.00
4	1 किलोग्राम-5 किलोग्राम	रु0 10,000.00
.5	5 किलोग्राम से अधिक	रु0 25,000.00
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठानदुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना।	रु0 25,000.00
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किसी निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठानदुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना।	रु0 1,000.00

उक्त धाराओं का उल्लंघन करना अपराध माना जायेगा। उल्लंघन की दशा में रु0 5,000.00 तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। उपविधि में निर्दिष्ट जुर्माना लगाये जाने तथा जुर्माने में संशोधित का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महरौनी में निहित होगा तथा वसूली नगर पालिका अधिनियम, 1916 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत महरौनी,
ललितपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, बेनीगंज (हरदोई)

20 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 586-I/न0पं0बे0/बायलॉज/2020-2021—उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1) व 126(10) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 02 सितम्बर 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भवनों, इमारतों तथा भूमियों पर गृहकर निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या 408/नौ-10-63ज/95 टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9, दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश संख्या 135/नौ-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई की सीमान्तर्गत भवनों व सम्पत्तियों पर स्वकर प्रणाली के अंतर्गत गृहकर निर्धारण किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी तथा संपत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019 बनायी गयी है जो राजकीय गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी। उक्त उपविधि के सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझााव नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई के कार्यालय मे विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह अर्थात् 30 दिन के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019

1—यह नियमावली नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019 कही जायेगी।

2—यह नियमावली नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई की सीमा में लागू होगी।

3—यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू होगी।

4—**"नगर पंचायत"** से तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई से है।

5—**"अधिशासी अधिकारी"** से तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

6—**"अध्यक्ष"** से तात्पर्य नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

7—**"प्रशासक/बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई के प्रशासक बोर्ड से है।

8—**"अधिनियम"** से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

9—**"शासनादेश"** का तात्पर्य उ0प्र0 शासन के आदेशों/निर्देशों से है।

10—कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई की सीमा में भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेगें। इसके लिए नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई से एक आवेदन-पत्र प्राप्त कर अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वकर का निर्धारण करेंगे।

11—आवेदन-पत्र नगर पंचायत, बेनीगंज से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

12—जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नही अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई द्वारा की जायेगी।

13—**भवन**—इसमें वह सभी अहाते, उपघर आदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित है तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर को भूमि सहित भवन कहा जायेगा और मकान का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

14—**"सम्पत्ति"** का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

15—**"आच्छादित क्षेत्रफल"** का तात्पर्य, कुर्सी के ऊपर जिसपर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

16—कारपेट एरिया की गणना नियमानुसार की जायेगी—

(क) कमरे	—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।
(ख) आच्छादित बरामदा	—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।
(ग) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह	—आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।
(घ) गैराज	—आन्तरिक आयाम की 1/4 माप।
(ड) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र	—कारपेट एरिया का भाग नही होगा।
अथवा	
कारपेट एरिया	— आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग।

17–कर का निर्धारण–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

(क) वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

18–(क) करों का भुगतान–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमे एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत, बेनीगंज कार्यालय अथवा उसके द्वारा अभिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया जायेगा। गृहकर निर्धारण का भुगतान का सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि के नियमावली मे दी गयी शास्ति तथा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) के अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173 (क) की कार्यवाही का खर्च तथा बकाया धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

(ख) यह है कि नगर पंचायत की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसे भी परिस्थिति हो के नगरपालिका अधिनियम की धारा 158(1)(2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उनके सम्पत्ति आदि के बारे मे विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) इस उपविधि के किसी भी प्रावधान के बारे मे नगर पंचायत यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरूपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्रावधान/नियमानुसार जनहित में नही है, तो उक्त प्रावधान को निरस्त करने, छूट देने अथवा संसोधित करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

19–किराये पर उठे आवासीय भवनों का उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य से (ARV) जोड़ें–

(क) दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक होगा (+) 25 प्रतिशत

(ख) दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा (+) 12.5 प्रतिशत

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो यथावत समझा जायेगा।

नोट–नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140(2) मे यह प्रावधान है कि जहॉ नगर पंचायत किराये में किसी कारण से असाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो अत्यधिक हो वहॉ नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो भी न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

20–**व्यावसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य**–सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम, बेकरी, आटाचक्की, कोयला, लकड़ी, कृषि उपकरणों के लिये केन्द्र, शीतगृह, रिजोर्ट, होटल व बेवसाइट व ऑटोमोबाइल शोरूम/सर्विस सेन्टर व भोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0, पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस अधिष्ठान भण्डारण तथा गोदाम, निजी कार्यालय, बैंक व अन्य अनावासीय भवनों से है।

21–**औद्योगिक सम्पत्तियों से तात्पर्य** –सेवा/कुटीर उद्योग, औद्योगिक कारखाने, पावरलूम कारखाना, सूचना प्रौद्योगिकी/ सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी/ एल0पी0जी0 व फिलिंग प्लाण्ट/संयंत्र/केन्द्र आदि से है।

22–**इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य**–राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द, पी0ए0सी0, पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र,अतिथि गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लॉजिंग बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हेण्डीकैप चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह, एवं देखभाल केन्द्र, बृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान, उच्चतर माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, पोलीटेक्निक, इन्जिनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र, पुस्तकालय/वाचनालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कलाकेन्द्र, सिलाई केन्द्र, बुनाई कढाई केन्द्र, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि, ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योगकेन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, धार्मिक केन्द्र, बारात घर, कॉन्फ्रेंस एवं मीटिंग हाल, प्रदर्शनी केन्द्र, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

नोट–जो भी सामाजिक, धर्मिक राजनैतिक संस्थायें निःशुल्क जनहित मे कार्य कर रही है वे कर से मुक्त रहेगी परन्तु जिस धर्म/राजनैतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा उस पर कर देय होगा।

23–**रेन्ट कन्ट्रोल के मकान**–रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अंतर्गत नही होगा बल्कि गृहकर का निर्धारण उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार किया जायेगा।

24–जिन भवनों/व्यावसायिक भवनों मे भवन स्वामी का पता नही चलता है तो ऐसे भवनों मे किरायेदार/अध्यासी को की गृहकर का भुगतान करना होगा।

25–करों मे छूट–

(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य संबंधित वर्ष का कर जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) सम्बन्धित वर्ष मे कर जमा नही करने की दशा मे आगामी वित्तीय वर्ष मे गृहकर पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा।

26–संबंधित संसूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय मे भरकर जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध मे कोई त्रुटि पूर्ण विवरण होने की दशा मे स्वामी अध्यासी से सम्पत्ति की देयता मे होने वाले अन्तर के चार गुने धनराशि शास्ति (जुर्माना) के रूप मे ली जायेगी निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा मे 50 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भूखण्ड पर क्रमशः 100/500/1000/3000 रु0 तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा, तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति मे शास्ति (जुर्माना) का 5 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

27–भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन मे निर्माण/पुननिर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) मे बृद्धि होने पर तथा भवन के व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र (ख) मे ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

28–जिन भवनों/भूमियों को नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हे भी प्रपत्र क और ख पर उपरोक्तानुसार सूचना भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र क के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया भी जमा करेंगें।

29–(क) मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी–कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप मे करदाता सूची मे अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध मे कोई आवेदन निरस्त करते हुये विचाराधीन है तो उल्लेख लिखित रूप मे किया जायेगा अन्यथा उसके बाद सूची मे आवेदन के अनुसार नाम, कर निर्धारण सूची मे अंकित कर दिया जायेगा।

(ख) गृहकर पंजिका मे दर्ज ऐसी भूमि/भवन जो पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जो किसी कारणवश निजी उपयोग मे लायी जा रही है तो वह गृहकर पंजिका मे स्वतः निरस्त/करमुक्त मानी जायेगी।

30–मकानों का हस्तांतरण सम्बन्धी नियम–

(क) यदि किसी भवन या भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तांतरित होता है तो स्वामित्व हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वामित्व पाने वाला व्यक्ति ऐसे संस्था ऐसे हस्तांतरण के 03 माह के अन्दर उसकी सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर लिखित सूचना रु0 300.00 शुल्क जमा करके अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(ग) यदि किसी करदाता अथवा भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देने मे असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय उसे नामान्तरण शुल्क के साथ रु0 100.00 विलम्ब शुल्क

भी देय होगा तभी प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जायेगा। यही प्रक्रिया विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण को कार्यवाही पर भी लागू होगी।

(घ) विक्रय-पत्र के आधार पर आवेदक नगर पंचायत अभिलेखों मे दर्ज कराना चाहता है तो उसका शुल्क रु0 500.00 जमा करने के बाद ही कार्यवाही शुरू की जायेगी।

31–**कर निर्धारण दर–**गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

32–**मुख्य मार्ग का तात्पर्य–**मुख्य मार्ग मे सभी सडकें आयेंगी जिसकी चौडाई 12 मीटर से अधिक होगी।

33–**अन्य मार्ग का तात्पर्य–**मुख्य मार्ग के अंदर के मार्ग व मोहल्ला/कालोनी मे जाने वाली सडक एवं समस्त गलियां अपने भागों मे आयेंगी।

34–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई द्वारा सत्यापित मासिक किराया प्रति वर्गफुट।

35–अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई मे निहित होगा।

36–अन्य व्यावसायिक भवन/मिश्रित भवन जो मुख्य मार्ग पर स्थित न हो का कर निर्धारण निर्धारित आवासीय दर का दोगुना दर पर किया जायेगा।

37–(क) किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन जो 30 वर्ग मी0 के माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक कारपेट क्षेत्रफल भूखण्ड पर निर्मित हो उसके स्वामी के स्वामित्व मे नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई की सीमा के अंतर्गत कोई अन्य भवन/भूखण्ड न हो पर वार्षिक मूल्य की गणना नही की जायेगी वो कर से मुक्त होंगे।

(ख) यदि आंशिक भाग का उपयोग व्यावसायिक/औद्योगिक के रूप मे प्रयोग किया जा रहा है और आंशिक भाग पर निवासित है तो व्यावसायिक/औद्योगिक वाले भाग पर व्यावसायिक/औद्योगिक दर लागू होगा तथा निवासित भाग पर निवासित दर लागू होगा।

(ग) व्यावसायिक/औद्योगिक उपयोग वाले आवासों/आवासीय अंशो पर कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा।

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासीय भवन की मासिक किरायें की दर
1	2	3
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक, कार्यालय, होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोडकर) आवासीय सह दुकान की स्थिति में।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का पांच गुना
2	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0बी0 टावर दूर संचार या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते है।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का चार गुना
3	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पाली क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय केन्द्र, मेडिकल स्टोर,स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
4	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
5	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप शादी/बारात घर, क्लब व इसी प्रकार के भवन	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
6	औद्योगिक इकाइयां सरकारी अर्धसरकारी एवं सार्वजनिक, उपक्रम कार्यालय	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना

1	2	3
7	क्रीडा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर तथा सिनेमा घर	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का दो गुना
8	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
9	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 129–क के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर के समान

38–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

कक्षवार (वार्डवार) निर्धारित प्रस्तावित मासिक किराया (प्रति वर्ग फीट) दरों की सूची

कक्ष/वार्ड का नाम	वार्ड संख्या	24 फीट से अधिक चौडे मार्ग पर दर			20 फीट 24 फीट चौडे मार्ग पर दर			12 फीट से कम चौडे मार्ग पर दर			भूमि के सम्बन्ध में	
		आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	12 फीट से 24 फीट चौडे मार्ग पर दर	12 फीट से कम चौडे मार्ग पर दर
अशराफ टोला	1	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
चमारन टोला	2	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
बाजार टोला	3	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
अहिरन/पासी टोला	4	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
कृष्णा नगर	5	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
तिवारिन/सोनारन टोला	6	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
कबड़ियन टोला	7	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
कायस्थ टोला	8	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
सिकिलिन टोला	9	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
मुराऊ टोला	10	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05

अर्थदण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई निश्चित करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) जुर्माना हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता है, रु0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

सुशीला,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बेनीगंज,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत, बेनीगंज (हरदोई)

20 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 586-II/न0पं0बे0/बायलॉज/2020-2021—नगर पंचायत बेनीगंज की आय बढोत्तरी हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की उपधारा 11 की सूची "स" के खण्ड "घ" द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 02 सितम्बर 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले भवनों पर जलकर निर्धारण हेतु जलकर उपनियमावली, 2019 बनायी है। उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात्, उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति सुझाव नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई के कार्यालय में प्रकाशन की तिथि के 30 के अन्दर प्राप्त करा सकता है, जिसका नियमानुसार निस्तारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा, परन्तु 30 दिन के बाद प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त प्रस्तावित ''जलकर उपनियमावली, 2019'' उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

जलकर उपनियमावली, 2019

1—यह नियमावली नगर पंचायत सीमा में आने वाले भवनों पर लागू होगी तथा जलकर उपनियमावली, 2019 कहलायेगी।

(क) क्षेत्र (सीमा) का तात्पर्य नगर पंचायत बेनीगंज की सीमा से है।

(ख) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष, नगर पंचायत बेनीगंज व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेनीगंज से है।

(ग) अध्यासी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निजी भूमि भवन या उसके किसी भाग का स्वामी हो तथा उपयोग में लाता हो स्वामी/किरायेदार के नाम से जलकर लागू किया जायेगा।

2—गृहकर वार्षिक मूल्य के आधार पर जलकर निर्धारण किया जायेगा।

3—भवन का तात्पर्य भवन, दुकान, दालान, बरामदा, सहन, जो किसी सामग्री से बना हो एवं अनुबन्ध भूमि भी सम्मिलित होगी परन्तु तम्बू झोपड़ी आदि सम्मिलित नही होगी।

4—(क) जलकर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा वसूल किया जायेगा जिसकी अदायगी का समय 30 सितम्बर व 31 दिसम्बर होगा किन्तु कोई व्यक्ति यदि अग्रिम किस्त जमा करना चाहे तो वह जमा कर सकता है।

(ख) जलकर 31 दिसम्बर तक अदा न करने पर लगे जलकर पर 10% अधिभार लगाकर वसूल किया जायेगा।

5—जलकर वसूली संक्रमण के कारण स्थगति की जायेगी तथा वर्तमान किरायेदार, कब्जेदार, अध्यासी से वसूल की जायेगी।

6–यदि कोई व्यक्ति भवन या भूमि पर जलकर लगा हो तथा उसका स्वामित्व परिवर्तन करता है, तो तीस दिन के अन्दर नया अधिकार परिवर्तन की लिखित सूचना अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को देगा तथा रजिस्टर्ड बैनामा व अचल सम्पत्ति हस्तानान्तरण शुल्क जमा करेगा तब नियमानुसार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित भवन से अधिकार परिवर्तन के साथ जलकर परिवर्तित करने का आदेश पारित करेगा।

7–यदि पूर्व की कोई धनराशि बकाया है तो उसे नाम परिवर्तन से पूर्व बकाया जलकर जमा करना अनिवार्य होगा।

8–वाटर कनेक्शन में नाम बदलने आदि के दाखिल खारिज प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे तथा किसी विशेष मामले का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

9–पालिका अधिनियम की धारा 287 को दृष्टिगत रखते हुये जिस भवन पर जलकर लागू होगा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी उस भवन में प्रवेश कर पैमाइश करा सकता है।

10–नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत पड़ी पाइप लाइन से 300 मी0 की दूरी तक स्थित भवनों पर जलकर आरोपित किया जायेगा।

टिप्पणी–अर्द्ध व्यास निर्धारित करने के लिये एक सीधी रेखा होगी जहॉ से निकट जल स्तम्भ हो वहॉ से जल देने का प्रबन्ध हो।

11–बाकीदार व्यक्तियों पर उपबन्धों के आधीन धारा 173 (क) के अन्तर्गत वसूली की जायेगी तथा वारण्ट कुर्की भेजे जायेंगे।

12–शुल्क मुक्त करने के लिये कोई स्वामी जिसके अलग-अलग हिस्से में भवन हो तथा 90 दिन खाली होने पर भी जलकर आरोपित कर दिया गया हो या भवन गिर जाने पर गृहस्वामी मुक्त हेतु अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा एवं अधिशासी अधिकारी उसे मुक्त करने पर विचार बोर्ड में रखेगा।

13–(क) 400.00 रुपये वार्षिक मूल्य तक के भवनों पर जलकर आरोपित नही किया जायेगा।

(ख) 400.00 रुपये वार्षिक मूल्य के ऊपर के भवनों पर 10% की दर से जलकर लगेगा जो भवन स्वामी देगा। जलकर की वसूली किरायेदार/कब्जेदार से भी की जायेगी।

14–जलकर का निर्धारण गृहकर के अनुसार ही किया जायेगा। निर्धारण के बाद आपत्ति/सुझाव मांगे जायेंगे, जो प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर प्राप्त किये जायेंगे। अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। आपत्तिकर्ता यदि सुनवाई के समय उपस्थित नही है तो आपत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

15–जलकर निर्धारण सूची को अन्तिम रूप देने हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।

16–नगर पंचायत बोर्ड द्वारा सूची को अन्तिम रूप में स्वीकार किया जायेगा तत्पश्चात् जलकर लागू होगा।

17–यह सूची नगर पंचायत कार्यालय बेनीगंज में निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी जिसे कोई भी व्यक्ति जिस पर जलकर लगा है, देख सकता है।

18–सूची प्रकाशन के बाद यदि किसी को आपत्ति हो तो वह 30 दिन के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकता है, किन्तु करदाता को अपील से पूर्व लगा कर अदा करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से करदाता या नगर पंचायत संतुष्ट नही है तो आगे अपील कर सकता है।

19–निम्नलिखित जलकर से मुक्त रहेंगे–

(क) मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, इमामवाडा, दरगाह, गिरिजाघर, खैराती संस्थाओं का वह भाग जो किराये पर न उठा हो वह कर से मुक्त रहेंगे।

(ख) सरकारी/गैर सरकारी भवनों पर कर लिया जायेगा।

(ग) नगर पंचायत कर्मचारियों से जिसमें वह स्वयं रहते हैं कर से मुक्त रहेंगे।

20–जलकरदाता निर्धारित तिथि पर कर भुगतान करके एम0एस0सी0-5 (फॉर्म-5) पर रसीद प्राप्त करने को बाध्य होगा।

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके बोर्ड निर्देश देता है कि इस नियमावली में वर्णित किसी धारा का उल्लंघन करने पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) मात्र लिया जायेगा तथा निरन्तर उल्लंघन करते पाये जायें तो रु0 25.00 (रुपया पच्चीस मात्र) प्रति दिन देना होगा।

सुशीला,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बेनीगंज,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत, बेनीगंज (हरदोई)

20 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 586-III/न0पं0बे0/बायलॉज/2020-2021–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 02 सितम्बर 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में **"विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019"** प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली के धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात, उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। जिसका नियमानुसार निस्तारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा परन्तु 30 दिन के बाद प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त प्रस्तावित ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019'' उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019

शासनादेश संख्या 2399/नौ-9-94-204 (जनरल)/90, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगर पंचायत, पर प्रवृत्त है, के अंतर्गत नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1–संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–

- यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 कहलायेगी।
- यह नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई में प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये–

- **"अध्यक्ष/प्रशासक"** का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।
- **"प्रभारी अधिकारी"** का तात्पर्य, नगर पंचायत, बेनीगंज, जनपद हरदोई के प्रभारी अधिकारी से है।
- **"लाइसेंसिंग अधिकारी"** का तात्पर्य, नगर पंचायत, बेनीगंज, जनपद हरदोई के लाइसेंसिंग अधिकारी से है।
- **"अधिनियम"** का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

- "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई से है।

3–उपनियम–

- इस उपनियम के अन्तर्गत कोई भी दुकानदार व अन्य व्यवसायी लाईसेंस प्राप्त किये बिना अपनी दुकान/व्यवसाय नही चला सकेगा एवं इस उपनियम के लागू होने के पूर्व चल रहे समस्त दुकान/व्यवसाय का लाइसेन्स दुकानदार/व्यवसायी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स की अवधि एक वित्तीय वर्ष की होगी जो 01 अप्रैल से लागू होकर 31 मार्च को समाप्त होगी।
- प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि को अदा करके लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि कार्यालय, नगर पंचायत बेनीगंज में जमा कर अथवा पंचायत कार्यालय द्वारा अधिकृत कर्मचारी को जमा करके रसीद प्राप्त कर सकता है।
- दुकानदार/व्यवसायी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बॉटों का मापों में प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
- इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य किसी विधिक संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु प्राप्त लाइसेन्स से भिन्न होगा।
- कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी छुआ-छूत की बीमारी से ग्रस्त है, वह उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा एवं ऐसे व्यक्ति को उल्लिखित व्यवसायों में सहायक अथवा नौकर भी रखने का अधिकार नहीं होगा।
- नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाईसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी लाईसेन्स दिखाने के लिए बाध्य होंगे तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।
- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई के द्वारा लाईसेन्स निर्गत किया जायेगा।
- जो शुल्क इस तालिका में नही है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।
- इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व में प्रभावी फैक्ट्री/दुकान/वाहन लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्क की दरें स्वतः निरस्त हो जायेंगी।
- वाहन के लाइसेंस न बनाने अथवा चेकिंग मे पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर इसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा वाहन बन्द किये जा सकते हैं तत्पश्चात् 15 दिन में लाइसेन्स न बनवाने पर लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी करायी जा सकती है।
- उपनियमों में संशोधन पंचायत बोर्ड किसी भी समय कर सकता है, एवं शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते हैं।
- वित्तीय वर्ष के माह जून तक प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनसे प्रतिमाह रु0 50.00 विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।
- दुकानदार/व्यवसायी द्वारा लाइसेंस शुल्क वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर जमा नही करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भॉति करायी जायेगी।
- नगर पंचायत बोर्ड/शासनादेश के निर्णयानुसार लागू लाइसेंस शुल्क में आवश्यक बृद्धि की जा सकती है।

- दुकानदार/व्यवसायी अपना व्यवसाय/दुकान चाहे अपने निजी मकान/दुकान/खुली जमीन अथवा किराये के मकान/दुकान/खुली जमीन पर करता है, उसे अपने दुकान/व्यवसाय के अनुरूप लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा।
- सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाइसेंस को किसी भी समय निरस्त कर सकता है अथवा उचित नही होने पर लाइसेंस देने से इन्कार करने का अधिकार होगा।

4–लाइसेंस शुल्क–शासनादेश सं0 541/नौ-9-99-23ज/97टी0सी0, दिनांक 15 फरवरी, 1999 समहित संख्या 1241/नौ-9-98-23ज/97, दिनांक 10 जून, 1998 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये लाइसेंस शुल्क (35 मद) अनुसूची दरें वसूली प्रभावी रहेगी।

वार्षिक दरें–

क्र0सं0	दुकान/व्यवसाय का नाम	लाइसेंस हेतु निर्धारित दरें
1	2	3
		रु0
01	पॉच सितारा होटल	12,000.00
02	तीन सितारा होटल	9,000.00
03	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस (10 शैय्या तक)	900.00
04	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	3,000.00
05	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड तक)	1,500.00
06	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
07	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2,000.00
08	प्राइवेट अस्पताल (बिना ऑपरेशन)	1,000.00
09	प्राइवेट अस्पताल (ऑपरेशन युक्त)	1,500.00
10	एक्स-रे क्लीनिक	1,500.00
11	पैथालॉजी सेन्टर	500.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00
13	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 07 सीटर तक	500.00
14	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 04 सीटर	250.00
15	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 02 सीटर	150.00
16	बस	1,500.00
17	मिनी बस	1,000.00
18	टैम्पो/जीप/टैक्सी आदि	500.00
19	तॉगा	30.00
20	रिक्शा किराये पर चालित	100.00
21	रिक्शा निजी चालित	50.00
22	रिक्शा चालक शुल्क	20.00
23	ठेला	75.00
24	हाथ ठेला	20.00
25	ट्रॉली मशीन चालित	100.00
26	अन्य चार पहिया व्यापारिक वाहन	750.00
27	धुलाई गृह लॉण्ड्री	500.00

1	2	3
		रु0
28	ड्राई क्लीनर लॉण्ड्री	1,000.00
29	फाइनेन्स कम्पनी	10,000.00
30	इश्योरेंश कम्पनी	15,000.00
31	फाउण्डिंग इण्डस्ट्रीज	500.00
32	पशु स्लाटर हाउस (प्रति पशु)	10.00
33	हड्डी/खाल/बाल गोदाम	1,000.00
34	पशु पालन (प्रति पशु)	10.00
35	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	350.00
	(क) प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर	25.00
	(ख) प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर	15.00

5–जलमूल्य वसूली–

- उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0 1010-19-2-96(2)-96, दिनांक 08 जनवरी, 1997 के द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अंतर्गत की निम्नवत् दरें प्रस्तावित हैं–

क्रमांक	घरेलू दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान	घरेलू संशोधित दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान
1	2	3
1	रु0 30.00	रु0 50.00
	व्यावसायिक दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान	व्यावसासिक संशोधित दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान
2	रु0 50.00	रु0 100.00

- नगर पंचायत के अन्तर्गत ऐसे भवन स्वामियों के घरेलू समरसेविल पानी का उपयोग करते हैं का वार्षिक शुल्क रु0 600.00 देय होगा।
- ऐसे भवन स्वामी जो व्यावसायिक समरसेविल का प्रयोग करते हैं वार्षिक मूल्य रु0 1,200.00 देय होगा।
- वसूली अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।
- नगर पंचायत वार्षिक बिल वितरण कराकर वसूली करायेगी।
- नगर पंचायत समुचित अभिलेखों को प्रत्येक वित्तीय वर्षवार अनुरक्षित रखेगी, जिसमें डिमाण्ड रजिस्टर को तैयार कराना तथा निर्धारित समय में बिल तैयार कर वितरित करना।

6–डिश एन्टीना शुल्क–

- नगर पंचायत बेनीगंज सीमान्तर्गत डिश एन्टीना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है या डिश एन्टीना का व्यवसाय किया जाता है।
- प्रत्येक डिश एन्टीना स्वामी/साझेदार पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन रु0 10.00 प्रति माह शुल्क लिया जायेगा।
- डिश एन्टीना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शनों की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा।
- कनेक्शनों की जॉच नगर पंचायत के अधिकृत अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा कभी भी की जा सकती है।

- केबिल तार को इस प्रकार डाला जायेगा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो।

7–शो टैक्स–नगर पंचायत, बेनीगंज सीमान्तर्गत मनोरंजन के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे स्वामियों से रु0 50.00 प्रति शो की दर से वसूला जायेगा।

8–विज्ञापन शुल्क–सचिव, उत्तर प्रदेश, नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश सं0 618/नौ-9-2012-277ज/2011, दिनांक 05 अपैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के संबंध में दिशा निर्देश–

- विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक दृष्टि से निरापद, निर्वाद, गमनागमन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हो।
- विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।
- विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बॉस या लकड़ियों से बांधा नही जायेगा। उस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस-पास के कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हों और लोक सम्पत्ति किसी भी प्रकार से विरूपित न हो।
- विज्ञापन कर रु0 6.00 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह देय है।
- कोई भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित और निकाय के प्रतिकूल नही होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नही होने चाहिये।

9–ट्रांसफार्मर सबस्टेशन पर शुल्क–

- पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रान्सफार्मर पर शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक प्रति ट्रान्सफार्मर।
- पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

10–नगर पंचायत दुकान एवं बारातघर पर किराया शुल्क–

- नगर पंचायत दुकान एवं सम्पत्तियों को भली-भॉति रख-रखाव करने हेतु प्रत्येक पाँच वर्ष में 10 प्रतिशत किराये में बृद्धि करेगी।
- ऐसे किरायेदारों द्वारा अनुबन्ध-पत्र उल्लंघन करने पर नगर पंचायत द्वारा बेदखल नोटिस जारी कर पुनः नीलामी की कार्यवाही कर दी जायेगी।
- नगर पंचायत बेनीगंज द्वारा मो0 पासी टोला में निर्मित बारातघर का किराया रु0 1,000.00 प्रतिदिन तथा कार्यक्रम के उपरांत बारातघर की सफाई एवं जनित कूड़े का निस्तारण शुल्क अलग से देय होगा तथा बारात घर किराया शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्वि की जायेगी।

11–अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष–

- मछली फुटकर बिक्री रु0 300.00
- मछली थोक बिक्री रु0 500.00
- फल फुटकर बिक्री रु0 300.00
- फल थोक बिक्री रु0 1000.00
- सब्जी फुटकर बिक्री रु0 300.00
- सब्जी थोक बिक्री रु0 1,000.00
- अण्डा फुटकर बिक्री रु0 300.00
- अण्डा थोक बिक्री रु0 1,000.00
- मुर्गा, बकरा, भैंस-भैंसा बिक्री रु0 1,000.00

12–विविधकर (शुल्क) की दरें–निम्न शुल्क की दरों में प्रति 3 वर्ष में 3 प्रतिशत की वृद्वि की जायेगी।

- प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 50.00 (पचास रुपया) प्रति प्रमाण-पत्र।
- पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 400.00 (रु0 चार सौ मात्र) प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा में निर्माण कार्य हेतु रु0 600.00 (छः सौ मात्र) प्रति टैंकर प्रतिदिन।
- पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 800.00 (रु0 आठ सौ मात्र प्रति टैंकर) एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में निर्माण कार्य हेतु रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार मात्र) प्रति टैंकर प्रतिदिन।
- सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगर पंचायत सीमान्तर्गत) रु0 1,500.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में शुल्क रु0 2,500.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर तथा सीवरेट टैंकर शुल्क में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्वि की जायेगी।
- पंचायत सीमा में स्थित पैट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 वार्षिक।
- पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।
- पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।
- पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यावासायिक शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।
- पंचायत सीमा में स्थित आटा चक्की/पालेशर मशीन/तेल पेराई मशीन/रूई धुनाई मशीन पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) वार्षिक।
- गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण/प्रति दिन।
- पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 1.00 एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 5.00 लिया जायेगा।
- पंचायत सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।
- पंचायत सीमा में स्थित व व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया) से व्यवसायिक शुल्क रु0 100.00 मासिक तथा बड़े दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे अधिक कवर्ड एरिया) से व्यवसायिक शुल्क रु0 200.00 मासिक।
- छोटी बाउण्ड्री युक्त भू-खण्ड या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेकने को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊॅची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) मात्र।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित राइस,गन्ना मिल पर व्यवसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में संचालित आरा मशीन, आइस फैक्ट्री पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (रु0 दो हजार) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित डेरी, प्रेशर मशीन (गाड़ी धुलाई केन्द्र) पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित आर0ओ0 प्लांट/निजी जलापूर्ति प्रणाली पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (रु0 दो हजार) वार्षिक।

- नगर पंचायत सीमा में स्थित मोटर साइकिल एजेन्सी, ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क 3,000.00 (रु0 तीन हजार) वार्षिक।
- मानचित्र शुल्क/मानचित्र एन0ओ0सी0 शुल्क रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) प्रति मानचित्र लिया जायेगा।
- नगर पंचायत जे0सी0बी0 किराया रु0 1,000.00 (एक हजार रु0) प्रति घंटा नगर पंचायत सीमान्तर्गत तथा आने जाने का ईंधन व्यय अनुपातिक पृथक रूप से।
- मोबाइल टायलेट किराया रु0 1,500.00 प्रति दिन/प्रति बुकिंग।
- नगर पंचायत ऐम्बुलेंस किराया रु0 8.00 प्रति किलोमीटर की दर से दोनों तरफ से देय होगा, ईंधन की कीमत में बृद्धि होने पर किराया संशोधन करने का अधिकारी नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगा।
- नगर पंचायत सीमान्तर्गत संचालित ईंट भट्ठों पर लाइसेंस शुल्क 10,000.00 (रु0 दस हजार) वार्षिक शुल्क।
- नगर पंचायत सीमा में गल्ला/अनाज की आढ़त व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (रु0 दो हजार) वार्षिक।
- नगर पंचायत सीमा में स्थित समस्त बैंको पर व्यावसायिक शुल्क 5,000.00 (रु0 पांच हजार) वार्षिक प्रति शाखा।
- नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन के उद्देश्य से रोड कटिंग चार्ज रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) प्रति कनेक्शन।
- नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन हेतु जमानत धनराशि रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) प्रति कनेक्शन।
- नगर पंचायत बेनीगंज सीमान्तर्गत समस्त विकास कार्य सम्बन्धी ठेकेदार पंजीकरण शुल्क रु0 25,000.00 (रु0 पच्चीस हजार) मात्र वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक। तदोपरान्त 1,500.00 (एक हजार पांच सौ) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।
- ठेकेदार नवीनीकरण शुल्क रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) मात्र वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक। तदोपरान्त रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।
- शटरिंग/तख्ता बल्ली को किराये पर उठाने के व्यवसाय पर रु0 2,000.00 वार्षिक (रु0 दो हजार) मात्र।
- देशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 4,000.00 (रु0 चार हजार) वार्षिक।
- विदेशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 6,000.00 (रु0 छः हजार) वार्षिक।
- बार/बियर दुकान पर व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 6,000.00 (रु0 छः हजार) वार्षिक।
- समस्त प्रकार की भवन निर्माण सामग्री सीमेंट/सरिया/मौरंग इत्यादि विक्रेता व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपया) वार्षिक।
- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में एन0जी0टी0 ऐक्ट, 2010 की धारा 15/16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खुले में कूड़ा जलाने पर अर्थदण्ड प्रति प्रकरण रु0 5,000.00 (पांच हजार रु0) मात्र एवं सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने/मलबा रखे जाने पर रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार) मात्र अर्थदण्ड।

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से दस गुना

तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर की अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रु0 25 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुर्माना के साथ-साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

नोट–उपरोक्त **"**नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019**"** उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविध कर/शुल्क की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई की उपविधि की दरों में कोई विरोधाभास हो, तो उस स्थिति में विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 प्रभावी मानी जायेगी। तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त मदों पर व्यावसायिक शुल्क का निर्धारण संशोधित लाइसेंस शुल्क दर उपविधि, 2010 के आधार पर किया जायेगा। उक्त उपविधि में किसी भी प्रकार के संशोधन/अद्यतन करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित है।

सुशीला,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बेनीगंज,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत, बेनीगंज (हरदोई)

20 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 586-IV/न0पं0बे0/बायलॉज/2020-2021–नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916की धारा 128 (1) के उपखण्ड (13, ख) के अधीन प्राप्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 02 सितम्बर 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर उगाहने पर नियमावली, 2019 बनायी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है जिसकी अवधि एक माह अर्थात् 30 दिन होगी। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, बेनीगंज की सीमा में प्रभावी होगी।

अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली, 2019

1–संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति–

(क) यह नियमावली नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई के भीतर अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली कहलायेगी।

(ख) यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से तात्पर्य नगर पंचायत, सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय, तबादला नाम व दान से है।

2–परिभाषायें–

(क) **"**अधिनियम**"** का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) है।

(ख) **"**नगर**"** का तात्पर्य नगर पंचायत बेनीगंज, जिला हरदोई से है।

(ग) **"**शुल्क**"** का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, सन् 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गए शुल्क से है।

(घ) **"**इण्डियन स्टाम्प एक्ट**"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 से है।

(ङ) **"**नगर पंचायत**"** का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज से है।

(च) **"अधिशासी"** अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज, जिला हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(छ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत बेनीगंज, जिला हरदोई के अध्यक्ष से है।

(ज) **"कर"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3—नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोगबन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढा दिया जायेगा।

4—कर लगाने की प्रक्रिया—उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी :

(1) अब कभी नगर भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिए प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 27 में निर्दिष्ट ब्यौरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक-पृथक् दिये गये हैः

(क) नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

(2) यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक-पृथक् व दिये गये हों तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा 128-क की उपधारा (4) धारा नगर पंचायत पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

5—कर के लेख रखना-निबन्धक अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक-पृथक् लेखे रखेगा, जिसमें वह शुल्क और कर दिखायेगा।

6—निबन्धन अधिकारी, जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (एक्ट संख्या 16, 1908) की धारा 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करें राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेंगे।

7—निबन्धन अधिकारी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक-पृथक् तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूली की गई धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबन्धक को उपर्युक्त प्रत्येक महीने के पांचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

6—जिला निबन्धक ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनांक तक तिमाही विवरण-पत्रों की प्रतिलिपियां निम्नलिखित को भेजेगा—

(क) निबन्धन महानिरीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(ख) अपर सचिव, राजस्व परिषद् उ0प्र0, इलाहाबाद।

(ग) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बेनीगंज, जिला हरदोई।

(घ) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

9—**(क)** नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई की ओर से उगाही गई कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जावें काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत को लौटा दी जायेगी, प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिए, अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद को फाइनेशिन्यल हैंड बुक खण्ड-5 भाग के प्रपत्र संख्या 19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किए जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जाएगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किए जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करेगा।

(ख) नगर पंचायत निबन्धक और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/पारिश्रमिक का भुगतान करेगा, जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करे।

10–अभिलेखों का निरीक्षण–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किए बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

सुशीला,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बेनीगंज,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत, बेनीगंज (हरदोई)

20 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 586-V/न0पं0बे0/बायलॉज/2020-2021–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 02 सितम्बर 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, पुनः निर्माण एवं परिवर्तन आदि को नियंत्रित करने हेतु उपविधि, 2019 बनायी है। जिसे उक्त ऐक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन अथवा उससे पूर्व प्राप्त होंगे। यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, बेनीगंज की सीमा में प्रभावी होगी।

भवन निर्माण, पुनः निर्माण एवं परिवर्तन आदि को नियंत्रित करने हेतु उपविधि, 2019

1–''उपविधियों'' का तात्पर्य नगर पंचायत बेनीगंज की सीमा में भवनों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/भू-खण्डों के निर्माण को नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि, 2019 से है।

2–''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज से है।

3–''अध्यक्ष'' का तात्पर्य निर्वाचित अध्यक्ष, नगर पंचायत/जिलाधिकारी अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी, प्रभारी अधिकारी जैसी स्थिति हो, से है।

4–''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, बेनीगंज से है।

5–''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज के बोर्ड से है।

6–''नगर पंचायत की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में होने वाली सीमा विस्तार में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

7–''कर'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (1) द्वारा परिभाषित भवन अथवा भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर आरोपित कर से है।

8–''स्वामी'' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसमें किसी भवन अथवा भूमि का वैधानिक रूप से मान्य स्वामित्व निहित हो।

9–''भवनों'' का तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा मे स्थित भवनों, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय में वर्णित परिभाषा धारा-7 मे उल्लिखित यथासंशोधित से है।

10–कोई भी भवन/भूस्वामी कम्पनी पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, ठेकेदार नगर पंचायत के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण एरिया को छोड़कर आवासीय भवन व्यापार हेतु जनहितार्थ अपनी निजी अथवा किराये पर ली गई अथवा किसी क्षेत्रीय संस्था की भूमि पर नगर पंचायत बेनीगंज से पूर्व आज्ञा (अनुमति) प्राप्त किये बिना न तो नया

निर्माण कर सकता है और न ही पुराने निर्माण में फेरबदल कर सकता है।नगर पंचायत बेनीगंज की सीमान्तर्गत आने वाला समस्त भू-भाग नियंत्रित क्षेत्र कहलायेगा।

परिवर्तन या परिवर्द्धन–

11–नगरीय क्षेत्रों में नये निर्माण और पुराने भवनों में परिवर्तन या परिवर्द्धन कम से कम 03 मास पूर्व भूमि का मालिक अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बेनीगंज को उक्त निर्माण के लिये आवेदन प्रस्तुत करेगा।

इस आवेदन के साथ निम्नलिखित पत्रादि और सूचनायें भी भेजेगा :

(क) स्थल का नक्शा व नक्शे का पैमाना 1 मीटर बराबर 1 से0मी0 (एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर) होगा।

(ख) स्थल की सीमायें चारों ओर की और उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण और भूमि के मालिकों के नाम (चौहद्दी) का उल्लेख।

(ग) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन की दूरी।

(घ) सम्पर्क मार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग से निर्माणाधीन स्थल की दूरी की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त कराना होगा।

(ङ) स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र सेलडीड (बिक्री विलेख) ट्रांसफर (स्थानांतरण विलेख) तथा लैंड डाक्यूमेंट अथवा रजिस्टर (मान्य दस्तावेज अथवा रजिस्टर पत्रादि) अथवा लेखपाल के द्वारा प्रदत्त स्थल का इंतखाब जैसी भी स्थिति हो को संलग्न किया जायेगा।

12–**प्रस्तावित भवन का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार**

(क) प्रत्येक मंजिल के ढ़के हुये भाग का नक्शा विवरण सहित जैसे दरवाजे, खिड़की, रोशनदान, जीना आदि की ठीक-ठीक स्थिति।

(ख) नक्शा नवीस/आर्किटेक्ट का नाम व पता (राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)।

(ग) भवन का उद्देश्य–

[1] निजी आवास के लिये

[2] व्यवसाय/व्यापार के लिये

[3] रहने व दुकान के लिये, दुकान किराये पर देने के लिये

[4] जनहितार्थ है तो विवरण

[5] अन्य कार्य हेतु विवरण प्रस्तुत करें

13–निर्माण की स्वीकृति पूर्व प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के 03 मास के अंदर दिये जाने के 06 मास के अंदर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना होगा, यदि किसी कारण निर्माणकार्य उक्त निर्धारित अवधि के अंदर प्रारम्भ नही हुआ है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा पुनः विचार कर कार्य प्रारम्भ करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में स्वीकृति से 01 वर्ष से अधिक नही होगी। उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 181(1), (2)।

14–निर्माण स्वीकृति दिये जाने के उपरांत अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की किसी समय यह संतुष्टि हो जाये कि प्रार्थी द्वारा इस उपनियम के खण्ड 2.3 में दी गई सूचना अथवा नक्शे में गलत विवरण दिया गया था तो अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति को प्राप्त कर सकता है और किया गया कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा और ध्वस्त करा दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 185 ।

15–यदि किसी भवन की चौड़ाई रास्ते या सड़क की ओर स्थित है तो भवन सम्पूर्ण के अगले भाग में कम से कम 1.21 मीटर की जगह छोड़नी पड़ेगी यदि भवन का प्रवेश द्वार सड़क या आवासीय क्षेत्र में दिये पार्क आदि के लिये खाली जगह हो जाने वाली सड़क या गली या रास्ते पर तो 1.50 मीटर छोड़नी होगी।

16–कोई भवन या आवास जनहितार्थ बनाया जायेगा निर्माणकर्ता को आवश्यक होगा कि वह आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक शौचगृह तथा स्वास्थ्य सुविधायें, जनस्वास्थ्य नियमावली के आधार पर बनायेगा।

(क) किसी शौचगृह की सड़क अथवा गली की ओर खुला रहने की स्वीकृति नही दी जायेगी।

(ख) शौचालय इस प्रकार का होना चाहिये, जिसमे मलकूप/मल निस्तारण आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो।

17–किसी भी भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि खुले स्थान की सतह से कम से कम 50 से0मी0 ऊँची होगी।

18–किसी भवन में मंजिल का तात्पर्य उन एक या एक से अधिक कमरों से है जिनके फर्श लगभग समान ऊचाई के हों।

19–एक से अधिक मंजिल के लिये जीने की चौड़ाई 90 से0मी0 से कम न होनी चाहिये, जिसमें रोशनी आदि की समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक है।

20–अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह नक्शे को उसी प्रकार स्वीकार कर दें अथवा उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन कर स्वीकार करे। नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 186 (1), (2), (3)।

21–उन उपविधियों के अधीन भवन इत्यादि निर्माण कार्य के लिये प्रदान की गई आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22–इन उपविधियों के अन्तर्गत निर्माण, पुनः निर्माण व परिवर्द्धन के प्रार्थना-पत्र के साथ इस उपविधियों में दी गई दर से शुल्क जमा करना होगा। और इस जमा की रसीद प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

23–नक्शा स्वीकृत करने हेतु निम्न औपचारिकताओं की भी पूर्ति अपेक्षित होगी–

(क) भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख।

(ख) लोक निर्माण विभाग।

24–लाइसेन्स धारी ड्राफ्टमैन अथवा आर्किटेक्ट द्वारा बनाये गये नक्शे ही मान्य होंगे।

25–किसी भी व्यक्ति द्वारा इन उपनियमों की किसी भी धारा के उल्लंघन किये जाने पर वह नगर पंचायत, बेनीगंज के अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियोग-पत्र जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख उस व्यक्ति के विरुद्ध दण्डित किये जाने हेतु प्रस्तुत करें, अधिशासी अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि जिला मजिस्ट्रेट को अभियोग-पत्र प्रस्तुत करने के अलावा उपविधि में किसी धारा के उल्लंघन किये जाने पर उस व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर अपराध का प्रशमन किसी भी समय पर लेने और इसी दशा में समझौता निम्न शुल्क पर देय होगा–

(क) आवासीय हेतु प्रति आवास	रु0 2,000.00
(ख) व्यापारिक संस्था प्रति संस्था	रु0 8,000.00

फीस की दरें–

आवासीय भवन हेतु एवं कालोनी हेतु दरें–

(क) प्रथम सौ वर्ग मीटर तक फर्श के कुल ढ़के भाग पर रु0 500.00 तथा अतिरिक्त प्रति वर्ग दस मीटर या उसके भाग के लिए रु0 100.00 देय होगा।

व्यापारिक संस्था हेतु दरें–

(ख) प्रथम 50 मीटर तक फर्श के कुल ढ़के भाग पर रु0 1,000.00 तथा अतिरिक्त प्रति वर्ग 10 मीटर या उसके भाग के लिये रु0 200.00 होगा।

(ग) पुनर्निर्माण, परिवर्तन या परिवर्द्धन के लिये भी शुल्क नव निर्माण के बराबर होगा।

(घ) अवधि बढ़ाये जाने के प्रार्थना-पत्र का शुल्क रु0 300.00 देय होगा।

(ङ) हर प्रकार की चहारदीवारी निर्माण का शुल्क रु0 500.00 प्रति 100 मीटर या उसके भाग पर होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके नगर पंचायत, बेनीगंज एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपर्युक्त नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) तक हो सकता है और निरन्तर अवहेलना की दशा में ऐसा अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिये जिसमें यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25.00 तक हो सकता है।

सुशीला,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बेनीगंज,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत, बेनीगंज (हरदोई)

20 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 586-VI/न0पं0बे0/बायलॉज/2020-2021—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) (2) सूची (1) खण्ड "ज" के भाग "ख" के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में "वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2019" बनायी है, प्रस्तावित उपनियमावली पर यदि किसी सम्बन्धित को कोई भी आपत्ति हो, तो अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में 01 माह (30 दिन) के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। यह उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई की सीमा में प्रभावित होगी।

वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2019

1—**शीर्षक**—यह उपविधि न0पं0 बेनीगंज (हरदोई) वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2019 कहलायेगी।

2—**प्रकृति**—यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3—**परिभाषायें**—विषय का प्रयोग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों से है—

(क) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज जनपद हरदोई से है;

(ख) "नगर पंचायत की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है;

(ग) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है;

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत बेनीगंज, जनपद हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है;

(ङ) "अधिनियम" से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है;

(च) "वाहनों" से तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई की सीमा से गुजरने वाले भार से लदे/सवारी ढोने वाले वाहनों से है;

(छ)"कर्मचारी" का तात्पर्य नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई के कर्मचारी से है;

(ज) "नाका बैरियर" से तात्यर्प नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई के नाका बैरियर से है;

(झ) **"सड़क/पटरियों"** का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई की सीमा अन्तर्गत आने वाले मार्गों प्रान्तीय, गैर प्रान्तीय एवं नगर की सड़क पटरियों से है।

4–**शुल्क का विवरण अधिरोपण एवं संग्रह**–नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते वाहनों ट्रक/ट्रैक्टर मय ट्राली, डी0सी0एम0 ट्योटा जो व्यवहारिक दृष्टि से चलते हैं, मोटर लारी रोडवेज, स्टोर वाहन, टाटा सूमो, मार्शल, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, भारी वाहन, बस/अन्य डीजल/पेट्रोल/गैस/इलेक्ट्रॉनिक/बैट्री से चलने वाले वाहनों जो व्यापारिक सामान उतारने चढाने एवं सवारियां उतारने-चढाने एवं ठहरने वाले वाहनों को नियन्त्रित करने हेतु उपविधि बनायी गई है, जिन पर यह शुल्क लागू होंगे।

5–नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करने वाले वाहन चालक इन नियमों से अपने को नियन्त्रित समझेगा क्योंकि वह प्रान्तीय अथवा नगर पंचायत सड़कों एवं अन्य वाहनों जो नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते हों की सड़कों एवं पटरियों का प्रयोग करते हों, वही वाहन चालक अपने वाहनों को तब तक नगर पंचायत, बेनीगंज की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा जब तक देय शुल्क का भुगतान न कर दे। यह शुल्क मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार को दिया जायेगा। जहां पर नगर पंचायत, बेनीगंज निश्चित करेगी।

6–प्रत्येक वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित स्थान या नगर की सीमा में किसी स्थान पर माल उतारने, चढाने एवं सवारियां उतारने-चढाने एवं ठहरने वाले वाहनों से मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार जैसी स्थित हो उनसे शुल्क वसूल कर रसीद दे सके।

7–इस प्रकार की रसीद प्राप्त करने वाला व्यक्ति नगर पंचायत बेनीगंज के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी तथा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के द्वारा मांगे जाने पर रसीद दिखाने के लिए बाध्य होगा एवं दिखलायेगा जो जॉचोपरान्त उसे विधिवत् वापस कर दिया जायेगा।

8–नगर पंचायत बेनीगंज अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि निर्धारित स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने परन्तु ऐसा करने के लिए उसे कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना जारी करनी होगी।

9–यदि कोई वाहन बिना शुल्क अदा किये नगर पंचायत, बेनीगंज की सीमा के अन्दर पाया गया तो अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत जॉच अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का कम से कम चार गुना और अधिक से अधिक 20 गुना दण्ड के रूप में दण्ड वसूल कर रसीद देगा।

10–यदि कोई भी वाहन बगैर शुल्क अदा किये भाग जाने पर चालक का पूरा पता अथवा गाड़ी नम्बर जो भी हो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।

11–यह कि नगर पंचायत चाहे तो वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क की वसूली का वार्षिक अथवा उसके किसी भाग का ठेका दे सकती है ऐसी स्थिति में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल कर रसीद नियमानुसार जारी करेगा तथा पार्किंग शुल्क अवशेष होने पर पार्किंग शुल्क की वसूली भू-राजस्व भांति की जा सकेगी।

शुल्क से मुक्ति

12–निम्न वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे।

(क) मृत पार्टी ले जाने वाले समस्त वाहन या एम्बूलेंस।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के स्थनान्तरण पर उनका घरेलू सामान जो किसी भार वाहन पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जावे, जो मांगने पर दिया जावे।

(ग) अन्य सरकारी वाहन (रोडवेज को छोड़कर) जो सरकारी ड्यूटी पर हों किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(घ) नगर सीमा के अन्दर बिना रुके सीधे जाने वाले वाहन।

प्रतिबन्ध

13–नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई की सीमा में प्रवेश करने वाले तिपहिया, बस, टैम्पो, टू-सीटर एवं विक्रम नगर के अन्दर चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं थ्री व्हीलर की निम्नलिखित स्थान पर खड़े होने एवं सवारी उतारने एवं चढाने हेतु निर्धारित किये जाते हैं।

(क) कुर्सी रोड पार्किंग।

(ख) सण्डीला रोड पार्किंग।

(ग) हरदोई रोड पार्किंग।

14–कोई भी प्राइवेट बस, लारी, मिनीबस, जीप, टैक्सी, टैम्पों इत्यादि जो सवारियां ढोती हैं वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से 1 किमी0 परिधि में सवारी उतारने व चढाने हेतु न तो गाड़ी पार्किंग करेगा और न ही सवारी भरेगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड का भागी होगा।

15–अध्यक्ष, नगर पंचायत, बेनीगंज हरदोई को यह अधिकार होगा कि किसी भी विवाद के उल्लंघन होने पर उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा उपनियम के किसी भी धारा में आवश्यक पड़ने पर संशोधन करने का अधिकारी होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारित स्थान से आगे शहरी आवादी में प्रतिबन्धित गाडियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

शुल्क का विवरण

16–नगर पंचायत बेनीगंज, हरदोई की सीमा में प्रवेश एवं ठहरने वाले वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार शुल्क वसूली करेगी–

1	प्रत्येक मोटर, मोटर लारी ,बस (रोडवेज, प्राइवेट बस), ट्रक तथा अन्य डीजल अथवा पेट्रोल से चलने वाले वाहन आदि	रु0 50.00 प्रति चक्कर (परन्तु एक दिन के लिये रु0 100.00 प्रतिदिन)
2	ट्रैक्टर ट्राली	रु0 20.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 50.00)
3	मिनी बस, छोटा ट्रक, मेटाडोर इत्यादि	रु0 30.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 70.00)
4	टैक्सी, मार्शल जीप, टैम्पो इत्यादि	रु0 25.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 60.00)

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत बेनीगंज, जनपद हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

सुशीला,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बेनीगंज,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत, बेनीगंज (हरदोई)

20 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 586-VII/न0पं0बे0/बायलॉज/2020-2021—नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 2221/नौ-5-18-352सा/2016, नगर विकास अनुभाग-05, दिनांक 29 जून 2018 में निहित "उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति" में जारी मार्गदर्शी निर्देशों को समाहित करते हुये तथा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में नगर पंचायत, बेनीगंज (हरदोई) अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2019" का प्राख्यापन करती है। जिसका विस्तार अधोलिखित है। प्रस्तावित उपविधि पर यदि किसी सम्बन्धित को कोई भी आपत्ति हो, तो अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में 01 माह (30 दिन) के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

1—संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

(1.1) यह उपविधि "न0पं0 बेनीगंज (हरदोई) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2019" के नाम से प्रभावी होगी।

(1.2) यह नगर पंचायत, बेनीगंज, हरदोई की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(1.3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत, बेनीगंज की सीमा में प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज, जनपद हरदोई की सीमा से है।

(4) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत, बेनीगंज के अध्यक्ष से है।

(5) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समानुदेशित हों।

(6) खुले में कचरा फेंकने, पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न करने व स्वच्छ वातावरण में व्यवधान—

व्यक्ति (अपशिष्ट उत्पादन व अन्य) ठोस अपशिष्ट को सड़कों पर, परिसर के बाहर, खुले में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा नालियों या जल निकायों में न तो फेंकेगा, न गाड़ेगा।

नगर पंचायत बेनीगंज सीमान्तर्गत सार्वजनिक जगह/सड़क/खुले में या जल निकास या नाला/नाली में कूड़ा/कचरा फैलाने/फेंकने/गाड़ने पर न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क पर यत्र/तत्र थूकने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर/खुले में नहाने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर/खुले में मूत्र त्याग करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर/खुले में शौच करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

जानवरों/पशुओं/पक्षियों को पंचायत सड़क/फुटपाथ पर बांधने/खड़ा करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर कपड़े धोने या अन्य इसी तरह की गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(7) कचरा पृथक्करण, संग्रहण–

अपृथक्कीकृत कचरा उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड–

घरेलू–रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

बल्क जनरेटर–रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

अजैविक कचरे को पृथक्कीकृत रूप में न उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

गार्डेन/बागवानी अपशिष्ट को मानकों के अनुसार पृथक्कीकृत न करने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

खाद्य–मांस अपशिष्ट को पृथक्कीकृत करके न उपलब्ध कराने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 300.00 (तीन सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

पालतू पशुओं द्वारा नगर पंचायत सड़क/नाला/नाली/फुटपाथ पर गंदगी/गोबर करने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 500 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(8) मरे हुये बड़े जानवर (पालतू) को उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

(9) मरे हुये छोटे जानवर (पालतू) को उठाने पर शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(10) कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत को सूचित किये बिना किसी भी अनुज्ञापित स्थल पर सौ से ज्यादा लोगों का न तो कोई समारोह आयोजित करेगा और न ही उन्हे एकत्र करेगा। शादी/विवाह समारोह आदि से उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट की सफाई हेतु शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

(11) प्रत्येक सड़क/फेरी विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़दान-हरा एवं नीला पृथक-पृथक अपने पास रखेगा एवं यथा भोज्य-अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, कैन्स, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि और इन्हे नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा। विभिन्न प्रकार के चाट/फल/रेहड़ी के ठेलों आदि पर सूखा एवं गीला कचरा पृथक-पृथक एकत्रीकरण हेतु डस्टबिन/कूड़ादान नही पाये जाने पर अर्थदण्ड/शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में/सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा/कचरा जलाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये) (साधारण क्षति पर) एवं बल्क मात्रा में कूड़ा जलाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

(13) निर्माण एवं ध्वन्स जनित अपशिष्ट स्वयं के परिसर में एकत्रित किया जायेगा तथा इसके निस्तारण हेतु मलबा निस्तारण शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये) प्रति वाहन प्रति प्रकरण।

(14) सड़क/फुटपाथ के किनारे अवैध रूप से निर्माण सामग्री-मौरंग, बालू, ईंट, भवन-मलबा, एवं ध्वंस अपशिष्ट आदि पाये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

(15) नालियों एवं फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे, अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रतिदिन प्रति प्रकरण।

(16) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, नगर पंचायत, बेनीगंज द्वारा यूजर चार्ज के रूप में–

घरेलू (50 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क रु0 15.00 (पन्द्रह रुपये) प्रतिमाह।

घरेलू (50 वर्ग मी0 से 300 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क रु0 50.00 (पचास रुपये) प्रतिमाह।

घरेलू (300 वर्ग मी0 से अधिक के मकानों पर) शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रतिमाह।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान–दुकान, ढाबा, स्वीट हाउस, काफी शाप आदि रु0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रतिमाह।

गेस्ट हाउस–रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह।

हॉस्टल–रु0 400.00 (चार सौ रुपये) प्रतिमाह।

होटेल/रेस्टोरेंट (बिना श्रेणी) से–रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह।

होटेल/रेस्टोरेंट (03 स्टार श्रेणी तक)–रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह।

होटेल/रेस्टोरेंट (03 स्टार श्रेणी से ऊपर)–रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये) प्रतिमाह।

व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेज, शिक्षण संस्थान–रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) मासिक।

क्लीनिक डिस्पेंसरी एवं लैबोरेटरी–रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह।

छोटी एवं घरेलू औद्योगिक वर्कशाप (हानिकारक रहित कचरा) प्रतिदिन 10 (दस) किलोग्राम कचरा उत्पादन पर–रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह।

गोदाम, कोल्ड स्टोर (हानिकारक रहित कचरा) रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह।

मैरिज हाल, फेस्टिवल हाल, मेला एवं प्रदर्शनी 3000 वर्ग मी0 तक क्षेत्रफल में–रु0 4,000.00 (चार हजार रुपये) प्रति कार्यक्रम।

उपरोक्त में अंकन से छूटे हुये अन्य श्रेणी के कचरा उत्पादन–नगर पंचायत, अधिशासी अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार आरोपित किया जायेगा।

(17) नगर पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 03.00 (तीन रुपया) प्रति एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 05.00 (पॉच रु0) प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

(18) नगर पंचायत, बेनीगंज सीमान्तर्गत खुले में शौच/मल त्याग करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति व्यक्ति।

(19) नगर पंचायत, बेनीगंज सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं के पार्क/डिवाइडरों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) देय होगा।

(20) उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-7 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1056/9-7-18-29 (लखनऊ)/18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियम) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 6-क, 7, 12 और 13-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुच्छेद 243-थ के अधीन गठित नगर पंचायत के सीमाक्षेत्र में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों टंबलरों, थर्मोकोल, प्लास्टिक कैरीबैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, भण्डारण, वितरण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध किया गया है, जिसके उल्लंघन पर शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट है, जो निम्नवत् है–

क्र0सं0	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरीबैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रुपयों में
		रु0
01	100 ग्राम तक	1,000.00
02	101 ग्राम-500 ग्राम	2,000.00
03	501 ग्राम-01 किलोग्राम	5,000.00
04	01 किलोग्राम-05 किलोग्राम	10,000.00
05	05 किलोग्राम से अधिक	25,000.00

"नगर पंचायत, बेनीगंज (हरदोई) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2019**"** में उल्लिखित शुल्क/जुर्माना/अर्थदण्ड सम्बन्धित द्वारा नगर पंचायत को समय से अदा न करने की स्थिति में उसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थान से भू-राजस्व की भांति करने का अधिकार पंचायत में निहित होगा।

सुशीला,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बेनीगंज,
हरदोई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बेटे का घर का नाम प्रिंस प्रजापति है। प्रमाण-पत्रों में परीक्षित प्रजापति नाम अंकित है जो सही है। भविष्य में मेरे बेटे को परीक्षित प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाय। विनोद कुमार पुत्र श्री भरत लाल प्रजापति, निवासी-121, मालवीय विहार करेंही-बर्रा, कानपुर नगर।

विनोद कुमार।

NOTICE

Notify That Mr. Anudeep Purwar S/o Shri Pradeep Purwar, R/o Flat No. 201, Pearl Block, Eden Park, Eldeco Estate, Kursi Road, Lucknow is retired as Co-partner from M/s. Vijan Drugs and Pharmaceuticals Reg. Office-A-13, Swatika City, Ahmamau, Near Shail Nursing Institute, Sultanpur Road, Lucknow *w.e.f.* 27.01.2021, Smt. Anju Purwar Upadhyay W/o Shri Vijayendra Nath Upadhyay has Joined in the firm as Co-partner *w.e.f.* 27.01.2021. Vijayendra Nath Upadhyay S/o Late Dr. Nagendra Nath Upadhyay, R/o A-13, Swatika City, Ahmamau, Sultanpur Road, Lucknow.

Vijayendra Nath Upadhyay,
A-13, Swatika City,
Ahmamau, Sultanpur Road,
Behind Surya Hotel, Lucknow-226002.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरे पिता की सेवा पुस्तिका में मधु बाला है, परन्तु वर्तमान में मेरा नाम मधुबाला गुप्ता है। अतः भविष्य में इसी नाम से मुझे जाना जाये।

मधु बाला गुप्ता,
पुत्री स्व0 राधेश्याम गुप्ता,
निवासिनी 456/364 के0एल0,
कीडगंज, जनपद प्रयागराज।

सूचना

M/s. MOHAN VANASPATI BHANDAR, 3/2 Senapati Street, Farrukhabad-209625 में दिनांक 01 जनवरी, 2020 से श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल पत्नी श्री कृष्ण मोहन अग्रवाल, निवासी 3/3 सेनापति स्ट्रीट फर्रूखाबाद-209625 फर्म में शामिल हो गयी हैं तथा उक्त फर्म को पूर्व पार्टनर श्रीमती बिमलेश कुमारी अग्रवाल पत्नी श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, निवासी 3/3 सेनापति स्ट्रीट फर्रूखाबाद-209625 मृतक होने के कारण फर्म से पृथक हो गयी हैं।

कृष्ण मोहन अग्रवाल,
M/s. मोहन वनस्पति भण्डार,
3/2, सेनापति स्ट्रीट,
फर्रूखाबाद-209625।

सूचना

मैं, सऊद अहमद, निवासी फ्लैट नं0 606, दिलकश हरिवंश अपार्टमेन्ट रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ व अहमद जुहेब, निवासी 862, सरायथोक पूर्वी, हरदोई सूचित करते हैं कि मे0 सोबिता सर्विस स्टेशन, 87, जगत नरायण रोड, गोलागंज, लखनऊ की संशोधन प्रक्रिया के अन्तर्गत पार्टनर श्री प्रयाग नरेश अग्रवाल, निवासी 87, जगत नरायण रोड, लखनऊ के सेवानिवृत्त होने की घोषणा करता हूं। अब नई पार्टनरशिप डीड सऊद अहमद व अहमद जुहेब द्वारा संचालित की जायेगी।

सऊद अहमद,
प्रथम भागीदार।

सूचना

मैं, मनीषा मेहरोत्रा, निवासिनी बी-2/14 से एफ, जानकीपुरम, लखनऊ सूचित करती हूं कि नीलम इन्टरप्राइजेज में संशोधन प्रक्रिया के अन्तर्गत पार्टनर नीलम मेहरोत्रा के सेवानिवृत्त होने एवं आकाश मेहरोत्रा को शामिल किये जाने की घोषणा करती हूं, अतः नई पार्टनरशिप डीड मनीषा मेहरोत्रा व आकाश मेहरोत्रा द्वारा भविष्य में संचालित की जायेगी।

मनीषा मेहरोत्रा,
प्रथम भागीदार।

सूचना

राम कृपाल शुक्ल नम्बर 14228317 एल का नाम हमारे पेंशन डाकूमेन्ट में गलत नाम राम कृपाल शुकल हो गया है। जबकि सही नाम राम कृपाल शुक्ल है। आधार कार्ड में मेरा नाम रामकृपाल शुक्ल है, जो सही है। अतः मेरा नाम रामकृपाल शुक्ल पढ़ा जाय।

रामकृपाल शुक्ल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ग्लोब मेडिकेयर, पता ए-3 निराला नगर, लखनऊ जिसका रजि0 नम्बर 199028, दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 को पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पक्ष दीपक कुमार अग्रवाल, द्वितीय पक्ष विनीता अग्रवाल साझीदार हैं तथा तृतीय पार्टनर मेसर्स गैस्ट्रोकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक, दीपक कुमार अग्रवाल, दिनांक 01 जनवरी, 2019 से साझीदारी में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में प्रथम पक्ष दीपक कुमार अग्रवाल, द्वितीय पक्ष श्रीमती विनीता अग्रवाल साझीदार हैं तथा तृतीय पार्टनर मेसर्स गैस्ट्रोकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर, दीपक कुमार अग्रवाल पार्टनर होंगे।

दीपक कुमार अग्रवाल,
साझीदार ग्लोब मेडिकेयर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिव शंकर इलेक्ट्रिकल्स एण्ड कॉन्टेक्टर्स, पता एफ0 एफ0-16,

17 कोर्णाक बिल्डिंग आर0 डी0 सी0, राजनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की पार्टनर्स शिप 04 अक्टूबर, 2015 को हुयी थी इसमें क्रमशः तीन साझेदार (1) श्री विपिन कुमार त्यागी पुत्र श्री ईश्वरचन्द त्यागी, (2) श्री अनिल त्यागी पुत्र श्री रमेश चन्द त्यागी, (3) श्री लवी अग्रवाल पुत्र श्री आर0 पी0 अग्रवाल थे। दिनांक 31 जुलाई, 2016 को साझेदार नं0 (2) श्री अनिल त्यागी पुत्र श्री रमेश चन्द त्यागी स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना-देना बकाया नहीं है तथा अब इस फर्म में क्रमशः दो साझेदार रह गये थे। (1) श्री विपिन कुमार त्यागी पुत्र श्री ईश्वरचन्द त्यागी, (2) श्री लवी अग्रवाल पुत्र श्री आर0 पी0 अग्रवाल साझेदार हो गये थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को नये साझेदार नं0 (3) श्री अनिल त्यागी पुत्र श्री रमेश चन्द त्यागी स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार हो गये हैं। (1) श्री विपिन कुमार त्यागी पुत्र श्री ईश्वरचन्द त्यागी, (2) श्री लवी अग्रवाल पुत्र श्री आर0 पी0 अग्रवाल, (3) श्री अनिल त्यागी पुत्र श्री रमेश चन्द त्यागी साझेदार हो गये हैं।

विपिन कुमार त्यागी,
साझेदार,
मेसर्स शिव शंकर इलेक्ट्रिकल्स एण्ड कॉन्टेक्टर्स,
एफ0एफ0-16, 17 कोर्णाक बिल्डिंग आर0डी0सी0,
राजनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पारस वायर इन्डस्ट्रीज, पता प्लाट नं0 19, 20 सिब्ली इन्डस्ट्रीयल एरिया, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की पार्टनर शिप 12 नवम्बर, 2018 को हुई थी इसमें क्रमशः दो साझेदार श्री सिद्धार्थ अग्रवाल पुत्र श्री राजीव अग्रवाल व श्री हनी वर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा थे। दिनांक 31 मार्च, 2020 को साझेदार श्री हनी वर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना-देना बकाया नहीं है तथा अब इनकी जगह दिनांक 31 मार्च, 2020 को नई साझेदार श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री राजीव अग्रवाल स्वेच्छा से इस फर्म में साझेदार हो गयी हैं, तथा अब इस फर्म में क्रमशः दो साझेदार ही रहेंगे। 1–श्री सिद्धार्थ अग्रवाल पुत्र श्री राजीव अग्रवाल, 2–श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री राजीव अग्रवाल साझेदार हो गये हैं तथा दिनांक 31 मार्च, 2020 की साझीदारी के अनुसार फर्म का नाम PARAS WIRE INDUSTRIES से बदल कर PARAS WIIRES INDUSTRRIES हो गया है।

सिद्धार्थ अग्रवाल,
साझेदार,
M/s. PARAS WIIRES INDUSTRRIES,
प्लाट नं0 19, 20 सिब्ली इन्डस्ट्रीयल एरिया,
मुरादनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।